प्रकाशन का 43 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 39 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 24 – 01 अक्तूबर 2018 मूल्य पांच रूपए

बी.के.अग्रवाल की नियुक्ति पहला सही फैसला–लोकसभा चुनाव होंगे इसका टैस्ट

शिमला/शैल। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी बी.के. अग्रवाल की बतौर मुख्य सचिव नियुक्ति को जयराम का पहला सराहनीय फैसला माना जा रहा है।

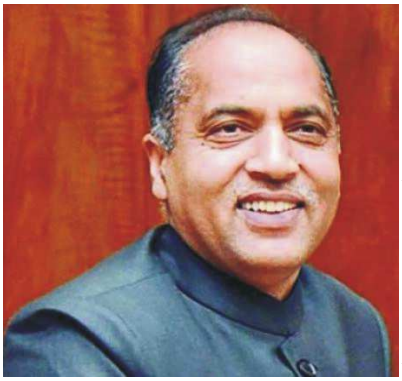

क्योंकि 1982 बैच के विनित चौधरी की सेवानिवृति के बाद प्रदेश सरकार के पास 1983 बैच में चार और 1984 बैच में दो अधिकारी थे। इन छः में से पांच इस समय केन्द्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं और केवल वी.सी. फारखा ही प्रदेश में तैनात थे। वीसी फारखा वीरभद्र शासन में मुख्य सचिव रह चुके हैं बल्कि इस नियुक्ति के विरोध में ही विनित चौधरी, दीपक सानन और उपमा चौधरी कैट में गये थे और वरियता को नज़रअन्दाज किये जाने का आरोप लगाया था। 1983 और 1984 बैच के प्रदेश के सारे अधिकारी अरविन्द मैहता को छोड़कर 2018 और 2019 में सेवानिवृत हो जायेंगें। अरविन्द मैहता की सेवा निवृति 2020 में है। इनके बाद 1985 बैच की बारी आती है और उसमें बी.के. अग्रवाल की सेवानिवृति 2021 में है। अग्रवाल अपने बैच में प्रदेश में पहले स्थान पर हैं। इस नाते प्रदेश में उपलब्ध अधिकारियों में कोई भी अपनी वरियता की नजर अन्दाजी का आरोप नही लगा सकता है। इस सारी वस्तुस्थिति को सामने रखते हुए यह आक्षेप भी नही लग पा रहा है कि अग्रवाल, शान्ता, धूमल या नड्डा किसी एक के दवाब में लगाये गये हैं। अग्रवाल संघ की भी पहली पंसद थे और संघ के आदेश तो सबको मानना ही पड़ता है। इस तरह कुल मिलाकर अग्रवाल की नियुक्ति को वर्तमान परिदृश्य में सही ठहराया जा रहा है।

अब अग्रवाल की नियुक्ति का प्रदेश के प्रशासन और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह एक बड़ा सवाल विश्लेष्कों के सामने रहेगा। अग्रवाल की नियुक्ति मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर और प्रदेश संघ प्रमुख संजीवन दोनों का सांझा फैसला माना जा रहा है। संघ और मुख्यमन्त्री के लिये आने वाला लोकसभा चुनाव पहला राजनीतिक बड़ा टेस्ट होना जा रहा है। इस चुनाव का मुख्यमन्त्री पर अभी से कितना दवाब है इसका अन्दाजा नरेन्द्र बरागटा को मुख्य सचेतक बनाने और राजीव बिन्दल के खिलाफ चल रहे अपराधिक मामले को वापिस लेने के लिये अदालत में आग्रह दायर करने से ही लगाया जा सकता है। जबकि नियमानुसार सरकार के यह दोनों ही फैसले गलत हैं। इन फैसलों से सरकार और मुख्यमन्त्री दोनों की छवि को नुकसान पंहुचा है। क्योंकि बरागटा का मामला जब भी अदालत में पंहुचेगा तो निश्चित है कि यह लाभ के पद के दायरे में आयेगा ही। इसी तरह बिन्दल मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिदृश्य में अदालत को यहआग्रह स्वीकार कर पाना बहुत ज्यादा आसान नही होगा।अदालत इन मामलों में समय तो कटवा सकती है लेकिन शायद राहत नही दे पायेगी। कानून के जानकारों का यह मानना है।

इसी के साथ अभी जिला परिषद कुल्लु, कांगड़ा, मण्डी और बीडीसी सुजानपुर के चुनावों में जो कुछ घटा है वह अपने में एक बड़ी राजनीतिक चेतावनी है। क्योंकि सरकार होने के बावजूद यह चुनाव हारना पार्टी के भीतरी समीकरणों और साथ ही जनता में बनती जा रही सरकार की छवि पर एक बड़ा प्रश्नचिन्ह लगाते हैं। लोकसभा चुनावों में पार्टी के उम्मीदवार वर्तमान के चारों सासंद फिर से हो जायेंगे यह इनमें से कुछ बदलेंगे यह तस्वीर भी अभी तक साफ नही है। लेकिन मण्डी से जिस तरह पंडित सुखराम की ओर से यह आया है कि यदि उनके पौत्र को पार्टी उम्मीदवार बनाती है तभी वह चुनावों में सक्रिय भूमिका निभायेंगे अन्यथा नही। फिर इसी के साथ यह जोड़ना कि तेरह बार वह और चार बार उनका बेटा यहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं उनकी नीयत और नीति को पूरी तरह स्पष्ट कर देता है। यहां पंडित सुखराम के तेवरों का जो अप्रत्यक्ष जवाब मुख्यमन्त्री की पत्नी डा. साधना ठाकुर का नाम उछाल कर दिया जा रहा है वह भी विश्लेष्कों की नज़र में कोई बहुत बड़ी रणनीतिक समझदारी नही मानी जा रही है। क्योंकि यदि कल को सही में डा. साधना को चुनाव लड़ना पड़ जाता है तो फिर यह जीत हासिल करना पार्टी से ज्यादा मुख्यमन्त्री की अपनी कसौटी बन जायेगा। जबकि जंजैहली में एसडीएम कार्यालय को लेकर अपने ही गृहक्षेत्र में जयराम जो कुछ झेल चुके हैं उसकी पराकाष्ठा धूमल के उस ब्यान तक पंहुच गयी थी जब उन्हे यह कहना पड़ा था कि मुख्यमन्त्री चाहे तो उनकी सीआईडी जांच करवा सकते हैं। इस सबकी पुनरावृति कब हो जाये यह कहना आसान नही है।

इसी के साथ जो संकेत मानसून सत्र में कांगड़ा से विधायक रमेश धवाला और राकेश पठानिया के तेवरों से उभरें हैं उन्हे भी हल्के से लेना राजनीतिक नासमझी होगा। माना जा रहा है कि कांगड़ा जिला परिषद के वाईस चेयरमैन के पद पर मिली हार ऐसे ही तेवरों का परिणाम है। फिर जब विधानसभा में बजट सत्र में सचेतकों का अधिनियम पारित करवाया गया था उस समय धवाला को मुख्य सचेतक बनाया परिचारित हुआ था। लेकिन अब जब बरागटा को बनाया गया तब धवाला की यह प्रतिक्रिया आयी कि उन्हें उपमुख्य सचेतक का पद ऑफर किया गया था जिसे उन्होने बरागटा से वरिष्ठ होने के कारण स्वीकार नही किया। धवाला की इस प्रतिक्रिया पर संगठन और सरकार की ओर से कोई जवाब नही आया है। ऐसे में अन्दाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले चुनावों में धवाला कितना सक्रिय होकर पार्टी के लिये काम कर पायेंगे। अभी बरागटा की नियुक्ति के साथ ही यह भी प्रचारित हुआ था कि निगमों/बोर्डो में नियुक्तियों का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। लेकिन ऐसा अभी तक हो नही पाया है। ऐसे संकेत उभर रहे हैं कि यह ताजपोशीयां भी लोकसभा चुनावों तक रूक सकती हैं। इस तरह जो राजनीतिक परिदृश्य अभी तक सामने आया है वह लोकसभा चुनावों में सफलता सुनिश्चित करने की दिशा में कोई सकारात्मक संकेत नही दे रहा है।

इसी तरह प्रशासनिक परिदृश्य में जहां अग्रवाल की नियुक्ति को सही फैसला माना जा रहा है वहीं पर इसे एक चुनौती भी माना जा रहा है। क्योंकि अभी प्रदेश के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सदस्यों के दो पद भरे जाने हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया को इसके अतिरिक्त रेरा के गठन में भी मुख्य सचिव की भूमिका रहती है। प्रदेश में फूड कमीशनर का पद भी स्थायी रूप से नही भरा गया है। इन सारे पदों को कितनी जल्दी भरा जाता है और इनमें मुख्य सचिव की मुख्यमन्त्री को क्या मंत्रणा रहती है यह सब अग्रवाल की सफलता के पहले कदम माने जायेंगे। इसी

के साथ यह भी महत्वपूर्ण रहेगा कि वह अधिकारियों में काम का बंटवारा कैसे करते हैं। इसके लिये कितनी जल्दी और कितना बड़ा प्रशासनिक फेरबदल वह कर पाते हैं यह देखना भी दिलचस्प होगा। अग्रवाल अपने पद पर जून 2021 तक बने रहेंगे और 2022 में विधानसभा चुनाव होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित 2023 तक पद पर बने रहेंगे ऐसे में यह एक अच्छा संयोग माना जा रहा है कि मुख्यमन्त्री, मुख्य सचिव और सचिव वित में एक लम्बे समय तक तालमेल बना रहेगा। क्योंकि राजनीति पर सबसे अधिक प्रभाव प्रशासन डालता है जबकि सामने जिम्मेदारी राजनीति नेतृत्व की रहती है। ऐसे में यदि इन शीर्ष लोगों में सकारात्मक तालमेल रहता है तभी प्रदेश का हित होता है। आज जो प्रदेश कर्ज के गर्त में फंसा हुआ है वह इसी कारण से शीर्ष में किसी ने भी शायद कोई तर्क एक दूसरे के सामने रखा ही नही। यह लोग भूल गये कि जब बजीर राजा की हां में हां मिला दे तो उस राज्य का पतन होते देर नही लगती है यह एक स्थापित सत्य है।

महंगाई के दौर में जनता पर बोझ न्यूनतम किराया तीन से बढ़कर छह रुपए

शिमला/शैल। जयराम ठाकुर सरकार महंगाई के इस दौर में प्रदेश की जनता पर बोझ डालते हुए बस किरायों में 20 फीसद तक बढ़ोतरी कर दी है जबकि न्यूनतम किराया तीन रुपए से बढ़ाकर छह रुपए कर दिया हैं। तीन किलोमीटर तक अब लोगों को छह रुपए अदा करने होंगे। यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

प्रधान सचिव परिवहन जगदीश चंद्र शर्मा ने कहा कि मैदानी भागों में 24 फीसद व पहाड़ी भागों में 20 फीसद किराया बढ़ाया गया हैं। उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि प्रदेश मे पांच सालों के बाद बस किरायों में बढ़ोतरी की हैं व डीजल की कीमतों में इन पांच सालों में 44 फीसद बढ़ोतरी हई हैं।

याद रहे पिछले दिनों निजी बस आपरेटरों ने किराया बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी हड़ताल की थी। उसी समय सरकार ने किराया बढ़ाने का मन बना लिया था। लेकिन मंत्रिमंडल की इस बैठक में लोगों की जेबों पर गाज गिरा ही दी गई।

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने वन विभाग में वन रक्षकों के 123 खालों पदों को अनुबंध के आधार भरने के लिए हरी झंडी दे दी हैं। इसके अलावा स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के मानदेय में एक अगस्त से 20 फीसद बढ़ोतरी का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने अग्निशमन विभाग में स्टेशन फायर अफसरों के दो, चालकों के तीन और फायरमैनों के 20 पदों को अनुबंध पर भरने की मंजूरी दी।

नगरनिगम धर्मशाला में विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को सृजित करने और भरने व वानिकी व बागवानी विवि नौणी में सहायक प्रोफेसरों के 35 पदों को भरने को भी मंजूरी दी गई।

अटल बिहारी वाजपेयी इंजीनियरिंग कालेज प्रगतिनगर में दो नए पाठयक्रमों को शुरू करने और विभिन्न श्रेणियों के 21पदों, आईटीआई बगशाड़ मंडी में 31पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग में दस कनिष्ठ कार्यालय सहायकों की अनुबंध के आधार पर व चार दैनिक भोगी मजदूरों के पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

मानसिक रोगी अस्पताल शिमला में 14 पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की है।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के पांच जिलों में विज्ञान ग्राम योजना आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना चंबा जिले के विकास खण्ड तीसा की ग्राम पंचायत छांजू, कुल्लू जिले के बंजार विकास खण्ड की मोहनी पंचायत, मंडी जिले में सराज विकास खंड की घाट पंचायत, शिमला जिले के बसंतपुर विकास खंड की पिपलीधार बैंश पंचायत तथा सिरमौर जिले के राजगढ़ विकास खण्ड की मातलबखोग पंचायत में आरम्भ की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य कृषि उपज में सुधार लाना, गैर कृषि गतिविधियों से आय उत्पादन तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के माध्यम से मौजूदा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रबंधन को बेहतर बनाना है।

मंत्रिमंडल ने राज्य में जल संरक्षण तथा वर्षा जल के पुनर्चक्रण के लिए ह्यजल से कृषि को बल योजना ऋण शुरू करने के लिए मंजूरी प्रदान की। इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के साथ-साथ संग्रहित जल संरक्षण संरचनाओं जैसे चेक डैम और तालाबों का निर्माण करके कृषि आय में वृद्धि करना है। इस योजना के लिए पांच साल की अवधि के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मंत्रिमंडल ने राज्य में बड़े पैमान पर पर्यटकों को आकर्षित करने व राज्य की सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित तथा सांस्कृति पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज पुरानी राहों से योजना आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राज्य में व्यक्तिगत /लाभार्थी समूह हैंडपंप उपदान योजना शुरू करने की स्वीकृति दी। इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों द्वारा 75 प्रतिशत लागत का भुगतान किया जाएगा तथा शेष 25 प्रतिशत लागत का सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा भुगतान किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को धार्मिक स्थानों की यात्रा का अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने (देव भूमि दर्शन योजना) शुरू करने का भी निर्णय लिया। इस योजना के अन्तर्गत 70 से 80 वर्ष की आयु के वरिष्ठ नागरिकों को बस किराये में 50 प्रतिशत रियायत तथा 80 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को पूर्ण छूट होगी।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले में पुलिस चौकी हरिपुरधार को नियमित पुलिस चौकी में परिवर्तित करके आवश्यक पदो के सृजन की भी मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के पुलिस थाना धर्मपुर के तहत ग्राम पंचायत चोलथरा और सदोथ को पुलिस थाना धर्मपुर से हटाकर पुलिस थाना सरकाघाट में शामिल करने का निर्णय लिया।

बैठक में मैसर्ज शक्ति हाईड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड को मंडी जिला में 3.5 मैगावाट जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए 1-22-28 हैक्टेयर वन/सरकारी भूमि पटे के आधार पर देने की स्वीकृति दी गई।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से विभागों/बोर्डों निगमों से हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण के लिए 30 कर्मचारियों को एसएएस-1 व 2 के लिए चयनित किया जाए।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर जिले के विकास खण्ड संगड़ाह की ग्राम पंचायत बियोंग टटवा के गांव बियोंग में आवश्यक स्टाफ सृजन के साथ नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को दी मंजूरी।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के परागपुर विकास खण्ड के परागपुर में आवश्यक स्टाफ के सृजन के साथ नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र व पंचकर्मा इकाई खोलने को दी मंजूरी।

बैठक में हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए वेतन पर 8.33 प्रतिशत की दर से भत्ता जारी करने का निर्णय लिया गया, जिसकी वित्त वर्ष, 2016-17 की उच्चतम सीमा 35 हजार है।

बैठक में डॉ. वाई.एस.परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में अनुबंध आधार पर सहायक प्रोफेसर /समकक्ष के 35 रिक्त पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

बैठक में शिमला जिला के अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय प्रगति नगर में बी-टैक इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा डिप्लोमा इंन मकेनिकल इंजीनियरिंग दो नए संकाय आरम्भ करने के निर्णय के अतिरिक्त 21 विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की भी दी स्वीकृति।

बैठक में मंडी जिला के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बगश्याड़ में दो नए प्लम्बर व मैकेनिक मोटर व्हीकल के दो नए ट्रेड आरम्भ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 21 पदों के सृजन व भरने को दी स्वीकृति।

बैठक में दौलतपुर में नए उपमण्डल खोलकर सिचाई एवं जन स्वास्थ्य उपमण्डल गगरेट में आंशिक पुनर्गठन को दी स्वीकृति, जिसमें जलहेड़ा उपमण्डल को बंद करने के उपरान्त दंगोह में एक नया अनुभाग खोला जाएगा।

बैठक में पूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं की वित्तीय सहायता (वृद्धावस्था पेंशन) को 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रतिमाह करने को दी स्वीकृति।

बैठक में सैनिक कल्याण विभाग में दैनिक दिहाड़ी के आधार पर चार पद सेवादार के भरने और कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के 10 पदों को अनुबंध के आधार पर सृजित व भरने को दी मंजूरी।

मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के सुकेत देवता मेला सुन्दरनगर को राज्य स्तरीय मेला का दर्जा देने को भी दी स्वीकृति।

बैठक में कांगड़ा जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र डाडासीबा को 50 बिस्तरों वाले नागरिक अस्पताल में आवश्यक पदों के साथ सृजित कर स्तरोन्नत करने को दी मंजूरी।

बैठक में मानसिक स्वास्थ्य एवं सुधार अस्पताल शिमला के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने को दी गई मंजूरी।

बैठक में पुलिस विभाग को शिमला शहर में सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए 13 मोटर साईकिल उपलब्ध करवाने का भी लिया गया निर्णय।

मंत्रिमण्डल ने मैसर्ज विजसन इनोवेशनस प्राईवेट लिमिटेड सहित विजसन बॉयोफ्यूल एजेंसी को पीपी आधार पर शिमला जिला के कुफरी में घोड़ों की लीद से बॉयोफ्यूल बनाने के लिए 2.5 एमटीपीडी क्षमता के बॉयोमैथानेशन प्लांट के संचालन, वित्त, निर्माण व डिजाईन तैयार करने के लिए नियुक्त करने को दी मंजूरी।

बैठक में जल विद्युत क्षेत्र को बढ़ावा देने तथा राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए 25 मैगावाट क्षमता तक की जल विद्युत परियोजनाओं से सारी बिजली हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा हिमाचल प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों पर अनिवार्य रूप से खरीदने को दिए निर्देश।

मंत्रिमंडल ने सिरमौर जिले के पावंटा साहिब स्थित गोंदपुर औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य औद्योगिक कचरा प्रबन्धन संयंत्र के निर्माण के लिए मैसर्स सिरमौर ग्रीन एनवायरन लिमिटेड को विशेष प्रयोजन वाहन के लिए 4412 वर्ग मीटर भूमि को एक रुपये के टोकन मूल्य के पटे पर देकर औद्योगिक नीति में छूट देने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने मैसर्ज राहुल बेकरी प्लाट नम्बर 19 सेक्टर नम्बर 19 परमाणू को फूट वाइन उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में राजकीय डिग्री कॉलेज सुन्नी का नाम बदल कर अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय डिग्री महाविद्यलय सुन्नी करने का फैसला किया।

मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिले के धीरा में होली मेला उत्सव को जिला स्तरीय करने का भी निर्णय लिया।

HIMACHAL PRADESHPUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer HP.PWD Division Dharampur, Distt. Mandi H.P on behalf of Governor of H.P invites the item rates bids, in electronic tendering system, for construction of each of the following works from the eligible and approved contractors registered with HP.PWD.

Sr.No.	Name of work	Estimated Cost (In Rs.)	EMD (In Rs.)	Time Limit
1.	C/o Bakari to Gawala road Km 0/0 to 0/660 (SH: Formation cutting 5/7 mtr wide in Km 0/0 to 0/660)	5,51,400/-	12000/-	Two months
2.	C/o Mortan Greyoh road Km 0/0 to 2/510 (SH: C/o R/Wall at RD 1/960 to 1/980 and B/Wall at RD 1/690 to 1/705, 1750 to 1/762, 1/775 to 1/782).	6,40,569/-	13000/-	Two months

2. **Date of release of Invitation for Bids through e-procurement:** 08.10.2018
3. **Cost of Bid Form:** Shown against each (non-refundable) only in form of demand draft in favour of Executive Engineer Dharampur Division HP.PWD., Dharampur.
4. **Availability of Bid Document and mode of submission:** The bid document is available online and bid should be submitted online on website *http://hptenders. gov.in* bidder would be required to register in the web-site which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: *http://hptenders.gov.in* Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.
* Non-registered bidders may submit bids, however, the successful bidders must get registered in appropriate class with appropriate authorities before signing the contract
5. **Submission of Original Documents:** The earnest money in the approved from duly pledged in the name of executive engineer concerned. The cost of tender form in the shape of Demand Draft payable to the Executive Engineer concerned. The above two documents shall be submitted by the contractor on the date of opening of the bid failing which tender will not be opened.
6.Last Date/ Time for receipt of bids through e-tendering: **22.10.2018. up-to 11.00 AM.**
7. The site for the work is available.
8. Only online submission of bids is permitted, therefore; bids must be submitted online on website *http://hptenders.gov.in* . The bids shall be opened on **22.10.2018 at 11.30 AM** hrs in the office **Executive Engineer, HPPWD Division Dharampur H.P.** by the authorised officer. In the interest of tenderers are advised to be present along with original documents at the time of opening of tenders. If the office happens to be closed on the date of opening of the bids as specified, the bids will be opened on the next working day at the same time and venue.
9. The bids for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than ninety days after the deadline date for bid submission.
10. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to electronic system failure beyond the control of office . Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-2503 /18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
मिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT
"Notice Inviting Tenders"

Item/percentage rate tender on form No. 6&8 are hereby invited by the Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD Palampur on behalf of Governor of H.P. for the following works from the approved and eligible contractors/firms so as to reach this office on or before 22-10-2018 up to 10.30 AM and will be opened on the same day at 11.30 AM in the presence of the intending contractors or their authorized representative. It is also added that if on that day there is a holiday, then the next working day will be taken/considered. The tender forms can be had from this office against cash payment (non-refundable) on 20-10-2018 up to 01.00 PM & it is also added that if on that date there is a holiday, then the previous working day will be taken/considered. The application for the purchase of tender documents should be accompanied with earnest money in the shape of National Saving Certificate/FDR/Call Deposit/Bank Draft of any Scheduled Bank/Post Office duly pledged in favour of the Executive Engineer, Electrical Division, HPPWD Palampur, GST clearance certificate/NOC from competent authority, Valid enlistment certificate in appropriate class in PWD (E). The application for purchase of tender form should be given with Sr. No. (in words) and Name of Work. Conditional tenders and the tenders received without earnest money will be rejected. The receipt of application for issue of tender forms by post shall not be entertained/ considered in any case. The tender forms shall be issued to registered contractors or their authorized representatives. The ambiguous/telegraphic/ conditional/fax/ E-Mail or by post tenders shall also not be entertained/ considered in any case. The tender shall be issued to only those contractors/firms who are found to eligible, suitable and competent. The decision of the Executive Engineer regarding suitability/eligibility/ competency of contractors/firms shall be final binding on the contractors/firms applying for the issuing of the tender. The offer of the tenders shall be kept open for 120 days. The Executive Engineer reserves the right to reject the tender without assigning any reasons.

Sr.No.	Name of Work	Estimated Cost in Rs	Earnest Money in Rs	Time limit	Form No	Cost of Form in Rs
1.	C/O office building for Superintending Engineer 2nd Electrical Circle, HPPWD Dharamshala, Distt. Kangra (HP) (SH:- Providing fixtures and balance work therein).	4,39,577/-	8,800/-	Three Months	8	350/-
2.	C/O Rajeev Gandhi Govt. Engineering College Kangra at Nagrota Bagwan, Distt. Kangra (HP) (SH:- Providing Fire fighting system to Lecture Theatre Block) (Balance work).	3,88,185/-	7,800/-	Three Months	8	350/-

Adv. No.2568/18-19 HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK

श्री नैना देवी व श्री आनंदपुर साहब रोपवे हिमाचल पंजाब का संयुक्त उपक्रम

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्री नैना देवी व श्री आनंदपुर साहब के बीच रोपवे के निर्माण के लिए चंडीगढ़ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की उपस्थिति में दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर

हुए। समझौता ज्ञापन पर हिमाचल प्रदेश की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन राम सुभग सिंह और पंजाब की ओर से पर्यटन सचिव विकास प्रताप सिंह ने हस्ताक्षर किए गए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि यह रोपवे दोनों राज्यों के बीच एक भावनात्मक सेतु साबित होगा और इससे दोनों राज्यों में धार्मिक पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा इस रोपवे का सपना बहुत पहले साकार हो जाना चाहिए था, लेकिन अब दोनों राज्य मिलकर इसके निर्माण को आगे बढ़ाएंगे और यह रोपवे दोनों राज्यों का संयुक्त उपक्रम होगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि 210 करोड रुपये की अनुमानित लागत से बनने वाले इस रोपवे का निर्माण 'श्री नैना देवी जी और श्री आनंदपुर साहब जी रोपवे कंपनी प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा किया जाएगा। इसके निदेशक मंडल में 10 सदस्य होंगे, जिनमें 5 निदेशक हिमाचल प्रदेश सरकार और पांच निदेशक पंजाब सरकार द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। निदेशक मंडल के चेयरमैन पंजाब सरकार द्वारा मनोनीत किये जाएंगे जबकि प्रबंध निदेशक की तैनाती हिमाचल प्रदेश सरकार करेगी। शुरुआती पूंजीगत निवेश में 50 – 50 लाख रुपए की राशि दोनों राज्यों द्वारा जमा करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का लोअर टर्मिनल पंजाब में श्री आनंदपुर साहब के निकट रामपुर में, इंटरमीडिएट स्टेशन हिमाचल के टोबा में और अप्पर टरमनल प्वाइंट श्री नैना देवी में होगा। दोनों राज्यों के पर्यटन विभाग इसकी नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2012 – 13 में भी इस रोपवे के निर्माण का प्रयास किया गया था और इसके लिए 14 एकड़ भूमि भी अधिकृत की गई थी लेकिन किन्ही परिस्थितियों में इसका निर्माण नही हो पाया। उन्होंने कहा जिस तरह 52 शक्तिपीठों में से एक श्री नैना देवी हिमाचल प्रदेश व देश ही नही बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, उसी तरह श्री आनंदपुर साहब भी एक धार्मिक स्थल होने के साथ – साथ पूरे विश्व के लिए आस्था का केंद्र है। धार्मिक महत्व के इन दोनों स्थलों का आपस में जुड़ना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया मील पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री नैना देवी मंदिर में शीश नवाने 80 प्रतिशत श्रद्धालु पंजाब से आते हैं और पिछले 1 साल में 25 लाख श्रद्धालुओं ने इस शक्तिपीठ में शीश नवाया है।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर लसह का आभार व्यक्त किया तथा इस समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षरित होने को एक ऐतिहासिक पल बताया।

इस अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस रोपवे के के निर्माण से प्रमुख शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को चढ़ाई चढ़ने से मुक्ति मिलेगी और पंजाब के श्रद्धालु आराम से इस धार्मिक स्थल तक पहुंच कर वहां अपने श्रद्धा के फूल अर्पित कर सकेंगे। उन्होंने कहा दोनों राज्यों के लोग इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ता देखना चाहते हैं और 3 साल के भीतर इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा पंजाब सरकार भी इस प्रोजेक्ट का सपना साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा यह प्रोजेक्ट दो धर्मो के बीच आपसी भाईचारे व सद्भावना की डोर को और मजबूत करेगा।

पंजाब के पर्यटन व स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिह सिद्धू ने इस अवसर पर कहा कि शहीद – ए – आजम भगत सिंह के जन्मदिन पर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का इससे बड़ा तोहफा मानवता के लिए कोई और नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इस परियोजना पर दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होना दोनों राज्यों के लिए सुखद क्षण है।

प्रदेश व केन्द्र की योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करें अधिकारी:डॉ.सैजल

शिमला/शैल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. राजीव सैजल की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से केन्द्रीय तथा राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। डॉ. सैजल ने प्रदेश सरकार तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयत सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए ताकि इन योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंच सके।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए तथा वर्ष 2018 – 19 में पूरे देश में हिमाचल प्रदेश को प्रथम स्थान दिलाने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश के पांच जिलों सोलन, शिमला, हमीरपुर, ऊना व चम्बा में पोषण अभियान आरम्भ किया गया है। उन्होने अधिकारियों से इस अभियान को मिशन के रूप में कार्यान्वित करने का आहवान किया। उन्होने पोषण अभियान के तहत विभाग द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों पर संतोष व्यक्त किया तथा भविष्य में पोषण अभियान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आंगनवाड़ी सेवाओं व अन्य केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं की समीक्षा के लिए मण्डल तथा जिला स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होने निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर स्थानीय लोगों द्वारा आंगनवाड़ी भवन के निर्माण हेतु भूमि विभाग के नाम स्थानान्तरित कर दी गई है, उनके भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव सक्षम अधिकारियों को भेजे।

डॉ. सैजल ने अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग के अधिकारियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017 – 18 के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस' में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर बधाई दी। यह पुरस्कार विभाग को इनोवेटिव बेस्ट प्रेक्टिस के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों के सशक्तिकरण व सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम व योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

हिमालयी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन 5 अक्तूबर को शिमला में

शिमला/शैल। 'कृषि के माध्यम से हिमालयी लोगों की भावी पीढ़ी के कल्याण' विषय पर आगामी 5 अक्तूबर को शिमला में हिमालयी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

हिमकोस्ट के प्रबन्ध निदेशक कुनाल सत्यार्थी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार इस सम्मेलन का आयोजन हि.प्र. विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के माध्यम से कर रही है। इसका आयोजन 12 हिमालयन राज्यों के एक सिविल सोसायटी संगठन समेकित पर्वतीय पहल तथा शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन की सहभागिता से किया जाएगा। दो चरणों में आयोजित किए जाने वाले इस सम्मेलन में 3 और 4 अक्तूबर, 2018 को शूलिनी विश्वविद्यालय सोलन में विशेषज्ञों तथा संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधियों का सेमीनार होगा, जबकि 5 अक्तूबर को शिमला के होटल पीटरहॉफ में 12 हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्रियों व सांसदों का सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

सम्मेलन में मुख्य विषय 'कृषि के माध्यम से हिमालयी लोगों की भावी पीढ़ी के कल्याण' के अलावा हिमालयी क्षेत्र में जल विद्युत और सत्त पर्यटन को भी शामिल किया गया है। इन विषयों पर विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी।

शिमला में इस प्रकार का यह दूसरा बड़ा सम्मेलन होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगभग 9 वर्ष पहले 29 – 30 अक्तूबर, 2009 में 'भारतीय हिमालय: ग्लेशियर्ज, जलवायु परिवर्तन व आजीविका' विषय पर शिमला में हिमालयी मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन के दौरान जो विचार उभर कर आए, उन्हें राज्यों द्वारा अपनी योजनाओं में सम्मिलित किया गया।

इस वर्ष मानसून के दौरान प्रदेश को 1479 करोड़ का नुकसान :मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। लाहौल घाटी से एक हजार से अधिक लोगों को निकाला गया है, जिनमें से 147 को हवाई मार्ग से तथा शेष को सड़क मार्ग से सुरक्षित निकाला गया है। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में

यह जानकारी दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क मार्ग को बारालाचा तक खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाए गए लोगों के स्वास्थ्य का चिकित्सीय निरीक्षण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाहौल घाटी में संचार माध्यमों को बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घाटी में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आज भारत संचार निगम लिमिटेड की एक टीम सिसु का दौरा करेगी और क्षेत्र में संचार सुविधा को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संचार बहाली के कार्य में सरकार बीएसएनएल का पूरा सहयोग करेगी। घाटी में स्थापित 18 टावरों में से वर्तमान में सात सही ढंग से कार्य कर रहे हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मानसून के दौरान राज्य को 1479 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है तथा हाल ही के दिनों में हुई भारी बरसात व बर्फबारी से राज्य में 220.29 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायु सेना के पांच हेलिकॉप्टरों को पर्यटकों व स्थानीय लोगों के बचाव व राहत कार्यों में लगाया गया है। उन्होंने कहा कि स्थिति पर 24 घटे जिला मुख्यालयों एवं राज्य मुख्यालय से निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पहली किस्त के रूप में 122 करोड़ रुपये की राशि पुनर्वास कार्यों के लिए जारी कर दी है।

बैठक में अवगत करवाया गया कि लाहौल घाटी में 18000 लीटर पैट्रोल और 27000 लीटर डीजल उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस तथा अन्य खाद्य सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यह भी बताया गया कि मनाली में जल आपूर्ति को बहाल कर दिया गया है तथा लाहौल घाटी में भी लगभग बहाल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक घाटी में विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं कर दी जाती, तब कि सौर ऊर्जा के माध्यम से लोगों को प्रकाश उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त हुए ट्रांसफार्मरों को बदलने के लिए छोटे ट्रांसफार्मर कुल्लू से हवाई मार्ग द्वारा पहुंचाए जा रहे हैं।

किसानों को मिट्टी परीक्षण आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करने की हिदायत

शिमला/शैल। कृषि विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए मिट्टी का परीक्षण अति आवश्यक है। मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग किये जाने से फसलोत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। अच्छी उपज के लिए यह आवश्यक हो गया है कि प्रमुख तत्वों के साथ – साथ गौण एवं सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग भी मिट्टी परीक्षण के आधार पर किया जाये। किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 9 स्वचालित मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें, 11 अचल मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालायें व 47 मिनी प्रयोगशालायें भी उपलब्ध करवाई गई हैं।

उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के दूसरे चक्र के कार्यान्वयन में एक लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित करने के लक्ष्य के मुकाबले 107701 नमूने एकत्रित करके परीक्षण किया गया है तथा प्रदेश में कुल 960765 कृषक परिवारों में से 625905 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी कर दिये गये हैं। जिला स्तर के अधिकारियों को यह लक्ष्य 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं ताकि सभी कृषकों को इस योजना से लाभान्वित किया जा सके।

मिट्टी स्वास्थ्य प्रबन्धन को बढ़ावा देने के लिए जीपीएस प्रणाली के तहत मिट्टी के नमूनों की जांच की जा रही है, ताकि किसान मिट्टी परीक्षण के आधार पर खादों का संतुलित उपयोग व फसलों का चयन कर सकें। मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट किसानों की 'मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड' पर उपलब्ध करवाई जा रही है। यह कार्ड किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है।
.....चाणक्य

सम्पादकीय

घातक होगी यह यौन स्वच्छन्दता

मैं हूं । मैं स्वतन्त्र हूं। मेरी अपनी निज की सत्ता है। मैं अपनी ईच्छानुसार कुछ भी कर सकता हूं। मैं कोई वस्तु नही हूं जिस पर किसके स्वामीत्व का हक हो। क्या इस बोध का मानक केवल यौन स्वच्छन्दता ही है। यह सवाल सर्वोच्च न्यायालय के आईपीसी की धारा 377 और 497 को लेकर आये फैसलों से उभरा है। इन फैसलों से समलैंगिकता और व्यभिचार अब अपराध नही माने जायेंगे। व्यभिचार तलाक का आधार तो हो सकता है लेकिन अपराध नही। सर्वोच्च न्यायालय के इन फैसलों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या इन फैसलों को समाज सहजता से स्वीकार कर लेता है या नही यह सब आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। इस तरह के आचरण का प्रभाव उस परिवार पर क्या पड़ेगा जिसमें संयोगवश यह सब घट जाता है। क्या आचरण को सांस्कृतिक मान्यता मिल पायेगी? क्या इसे मूल्य आधारित जीवन करार दिया जा सकेगा? यह सारे सवाल सर्वोच्च न्यायालय के इन फैसलों के बाद एक सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनेंगे यह तय है। क्योंकि अभी तक भारतीय समाज ऐसे आचरण को स्वीकार नही कर पाया है। जहां पर लव-जिहाद, खाप पंचायतें और वैल्नटाईन डे तथा पहरावे तक को लेकर विवाद खड़े हों वहां पर इस तरह की व्यवस्था को सामान्यता तक पहुंचने में समय लगेगा यह भी तय है।

सर्वोच्च न्यायालय के इन फैसलों से परिवार की संरचना कितनी प्रभावित होगी यह सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि जब विवाह के बाद इस तरह के संबधों की स्थिति उभर आती है तब स्वभाविक है कि बात तलाक तक पंहुच जायेगी और इसी आधार पर तलाक हो भी जायेगा। ऐसे में उस सन्तान की जिम्मेदारी किसकी रहेगी जो इस तलाक से पहले जन्म ले लेती है। उसकी देखभाल कौन करेगा। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे तलाक से पहले यह पति-पत्नी जो भी संपति बनायेंगे उसका बंटवारा, उसकी मलकियत किसकी कितनी रहेगी। जिस परिवार में समलैंगिकता पसर जायेगी वहां पर परिवार की वंश वृद्धि की धारणा क्या होगी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इन फैसलों से परोक्ष/अपरोक्ष में जुड़े हैं और देर-सवेर समाज के व्यवस्थापकों से जवाब मागेंगे। यौन संबधों की स्वतन्त्रता तलाक को बढ़ावा देगी और उसी अनुपात में बहु विवाह को यह स्वाभाविक है। क्योंकि यौन संबंध शरीर का स्वभाविक धर्म और गुण है जो अपने समय पर स्वत: ही प्रस्फुटित होता है । आज जो हमारा खान-पान और अन्य व्यवहार हो गये हैं उसके परिणामस्वरूप शरीर की यह आवश्यकता कुछ एडवांस हो गयी है। बल्कि इससे तो विष्णु पुराण में कलियुग को लेकर दिया गया विवरण व्यवहार में शतप्रति ात घटता नज़र आ रहा है। वहां कहा गया है कि कलियुग में कुल आयु बीस वर्ष की होगी और आठ नौ वर्ष की आयु में ही सन्तान पैदा हो जायेगी। आज ही यह सब घटना शुरू हो गया है। स्कूल जाने वाली बच्ची कि मां बनने की घटना चण्डीगढ़ में पिछले दिनों सामने आ चुकी है।

ऐसे में जब समाज में यौन संबंधो की स्वतन्त्रता एक प्रभावी शक्ल ले लेगी तब समाज में व्यवस्था की स्थिति क्या हो जायेगी? क्या इस पर विचार नही किया जाना चाहिये। जिस समाज में यौन संबंध एक वैचारिक और शारीरिक स्वछन्दता की संज्ञा ले लेंगे उसमें व्यवस्था की स्थापना क्या एक गंभीर चुनौती नही बन जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान जजों ने भविष्य में सामने आने वाले इन प्रश्नों पर विचार नही किया है। मानवीय व्यवहार में तो यह बहुत पहले कह दिया गया था कि **" योनी नही है रे नारी वह भी मानवी स्वतन्त्रत, रहे न नर पर आश्रित "** महिला सशक्तिकरण आन्दोलन में उसे पुरूष के बराबर अधिकारों की वकालत का परिणाम है कि वह आज हर क्षेत्र में पुरूष के बराबर खड़ी है। लेकिन इस आन्दोलन में यौन संबधों की स्वच्छन्दता तो कभी कोई मांग नही रही है। आज जहां विश्व के कई देशों में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है लेकिन कई जगह यह अपराध है और इस पर कड़ाई से अमल हो रहा है। अभी इस मुद्दे पर आरएसएस की ओर से कोई प्रतिक्रिया नही आयी है। संघ अपने को हिन्दु संस्कृति का एकमात्र पक्षधर और संरक्षक मानता है। ऐसे में यह दखना दिलचस्प होगा कि संघ इस नयी संस्कृति को कैसे लेता है? क्या वह सरकार को इस संद्धर्भ मे एससीएसटी एक्ट की तर्ज पर नये सिरे से विचार करने का आग्रह करता है या नही।

राज्य की GDP में कृषि का योगदान केवल 10 प्रतिशत

सरकारी योजनाओं पर लगी निगाहें

हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में कृषि व सम्बद्ध क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे जुड़े क्षेत्रों का लगभग 10 प्रतिशत योगदान है। राज्य में 5.42 लाख हैक्टेयर क्षेत्र पर कृषि की जा रही हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं ताकि प्रदेश में कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ किसानों की आर्थिकी भी सुदृढ़ हो सके। प्रदेश की जलवायु बे-मौसमी फसलों विशेषकर बे-मौसमी सब्जियों को उगाने के लिए काफी उपयोगी है तथा प्रदेश सरकार द्वारा बे-मौसमी सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश में वर्ष 2017-18 में 78.680 हैक्टेयर क्षेत्र में सब्जी की खेती की गई, जिसमें 16,91,564 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 के बजट में कृषि के लिए 688 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में कृषकों की आय बढ़ाने के लिए फसल विविधिकरण पर बल दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के

पांच ज़िलों में 300 करोड़ रुपये की लागत से 'जीका' फसल विविधिकरण योजना लागू की गई है। राज्य सरकार द्वारा शून्य लागत खेती के अंतर्गत प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान योजना आरम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। गौशालाओं को पक्का करने, गौमूत्र व गोबर एकत्रित करने के लिए गौशालाओं में जरूरी प्रावधान व व्यवस्था करने के लिए 80 प्रतिशत का उपदान दिया जा रहा है। प्राकृतिक खेती में प्रयोग होने वाले आदान (इनपुट) बनाने के लिए किसानों को ड्रमों पर 75 प्रतिशत उपदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती में काम आने वाले आदानों की आपूर्ति के लिए प्रत्येक गांव में प्राकृतिक संसाधन भण्डार खोलने के लिए 50 हजार रुपये तक की सहायता का भी प्रावधान किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए इस योजना पर 25 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उपदान दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए कृषि यंत्रीकरण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है, जिसके अंतर्गत वर्ष 2018-19 में प्रदेश के किसानों को ट्रेक्टर खरीदने पर 50 प्रतिशत के उपदान का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार पावर टीलर खरीदने पर भी 50 प्रतिशत के उपदान का प्रावधान किया गया हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में कृषि को बढ़ावा देने तथा सिंचाई के अंतर्गत और अधिक क्षेत्र लाने के लिए सौर सिंचाई योजना आरम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत सौर पम्पों से सिंचाई हेतु लघु एवं सीमान्त वर्ग के किसानों को व्यक्तिगत रूप से पपिंग मशीनरी स्थापित करने के लिए 90 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जबकि मध्यम तथा बड़े वर्ग के किसानों को पपिंग मशीनरी लगाने के लिए 80 प्रतिशत की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सामुदायिक स्तर पर पपिंग मशीनरी लगाने के पर शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन करने का प्रावधान किया गया है। योजना के अंतर्गत एक से 10 हॉर्स पावर के सौर पम्प लगाए जा रहे हैं। योजना के तहत पांच वर्षों के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। एक अन्य योजना जल से कृषि को बल भी आरम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाने के लिए चैकडेम व तालाबों का निर्माण किया जा रहा है। इस योजना के तहत इस वित्त वर्ष के लिए 40 करोड़ रुपये का तथा आगामी पांच वर्षों के लिए 250 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

राज्य सरकार द्वारा 'प्रवाह सिंचाई योजना' भी आरम्भ की गई है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में कूहलों के स्त्रोतों का नवीकरण एवं सामुदायिक क्षेत्रों में कूहलों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा योजना के तहत व्यक्गित स्तर पर बोरवैल तथा कुओं के निर्माण के लिए 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। योजना के लिए इस वर्ष 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों की फलसों को जंगली व आवारा पशुओं से बचाने के लिए राज्य में 'मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना' आरम्भ की गई है, जिसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा से संचारित बाड़ लगाने के लिए 80 प्रतिशत का अनुदान दिया जा रहा है जबकि तीन या इससे अधिक किसानों को सामूहिक रूप से बाड़ लगाने के लिए 85 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 687 किसान लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2018-19 में योजना के तहत 35 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉलीहाउस निर्माण पर विशेष बल दिया जा रहा है। सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस नवीनीकरण योजना आरम्भ की गई है। योजना के अंतर्गत पांच वर्ष के पश्चात या प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त होने वाले पॉलीशीट को बदलने के लिए प्रदान की जा रही अनुदान राशि को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया गया है। योजना के तहत इस वर्ष तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश सरकार के कृषि को बढ़ावा देने तथा किसानों की आर्थिकी को सुद्धढ़ करने के लिए किए गए प्रयासों से वर्ष 2022 तक प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

ये आपातकाल नहीं, लोकतंत्र का मित्र बनकर लोकतंत्र की हत्या का खेल है

पुण्य प्रसून वाजपेयी

क्या ये संभव है कि आप प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का नाम ना लें । आप चाहें तो उनके मंत्रियो का नाम ले लीजिये। सरकार की पॉलिसी में जो भी गड़बड़ी दिखाना चाहते है, दिखा सकते हैं। मंत्रालय के हिसाब के मंत्री का नाम लीजिए पर प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कहीं ना कीजिए। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी खुद ही हर योजना का एलान करते हैं, हर मंत्रालय के कामकाज से खुद को जोड़े हुए हैं और हर मंत्री भी जब प्रधानमंत्री मोदी का ही नाम लेकर योजना या सरकारी पॉलिसी का जिक्र कर रहा है, तो आप कैसे मोदी का नाम ही नहीं लेंगे।

अरे छोड़ दीजिए। कुछ दिनों तक देखते हैं क्या होता है। वैसे आप कर ठीक रहे हैं। पर अभी छोड़ दीजिए।

भारत के आनंद बजार पत्रिका समूह के राष्ट्रीय न्यूज चैनल एबीपी न्यूज के प्रोपराइटर जो एडिटर – इन चीफ भी है, उनके साथ ये संवाद 14 जुलाई को हुआ। यूं इस निर्देश को देने से पहले खासी लंबी बातचीत खबरों को दिखाने, उसके असर और चैनल को लेकर बदलती धारणाओं के साथ हो रहे लाभ पर भी हुआ। एडिटर – इन – चीफ ने माना कि मास्टरस्ट्रोक प्रोगाम ने चैनल की साख बढ़ा दी है। खुद उनके शब्दो में कहें तो, 'मास्टरस्ट्रोक में जिस तरह का रिसर्च होता है। जिस तरह खबरों को लेकर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग होती है। रिपोर्ट के जरिए सरकार की नीतियों का पूरा खाका रखा जाता है। ग्राफिक्स और स्किप्ट जिस तरह लिखी जाती है, वह चैनल के इतिहास में पहली बार देखा है।'

तो चैनल के बदलते स्वरुप या खबरों को परोसने के अंदाज ने प्रोपराइटर व एडिटर – इन – चीफ को उत्साहित तो किया। पर खबरों को दिखाने – बताने के अंदाज की तारीफ करते हुये भी लगातार वह ये कह भी रहे थे और बता भी रहे थे कि क्या सब कुछ चलता रहे और प्रधानमंत्री मोदी का नाम ना हो तो कैसा रहेगा। खैर एक लंबी चर्चा के बाद सामने निर्देश यही आया कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम अब चैनल की स्क्रीन पर लेना ही नही है।

तमाम राजनीतिक खबरों के बीच या कहें सरकार की हर योजना के मद्देनजर ये बेहद मुश्किल काम था कि भारत की बेरोजगारी का जिक्र करते हुये कोई रिपोर्ट तैयार की जा रही हो और उसमें सरकार के रोजगार पैदा करने के दावे जो कौशल विकास योजना या मुद्रा योजना से जुड़ी हों, उन योजनाओ की जमीनी हकीकत को बताने के बावजूद ये ना लिख पाये कि प्रधानमंत्री मोदी ने योजनाओं की सफलता को लेकर जो दावा किया वह है क्या। यानी एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि कौशल विकास के जरीये जो स्किल डेवलेंपमेंट शुरु किया गया, उसमें 2022 तक का टारगेट तो 40 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का रखा गया है पर 2018 में इनकी तादाद दो करोड़ भी छू नहीं पायी है। और ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि जितनी जगहों पर कौशल विकास योजना के तहत सेंटर खोले गये उनमें से हर दस सेंटरों में से 8 सेंटर पर कुछ नहीं होता या कहें 8 सेंटर अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हुये कहीं प्रधानमंत्री का नाम आना ही नहीं चाहिए। तो सवाल था मास्टरस्ट्रोक की पूरी टीम की कलम पर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शब्द गायब हो जाना चाहिए।

पर अगला सवाल तो ये भी था कि मामला किसी अखबार का नहीं बल्कि न्यूज चैनल का था। यानी स्क्रिप्ट लिखते वक्त कलम चाहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ना लिखे। लेकिन जब सरकार का मतलब ही बीते चार बरस में सिर्फ नरेन्द्र मोदी है तो फिर सरकार का जिक्र करते हुये एडिटिंग मशीन ही नही बल्कि लाइब्रेरी में भी सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के ही वीडियो होंगे। और 26 मई 2014 से लेकर 26 जुलाई 2018 तक किसी भी एडिटिंग मशीन पर मोदी सरकार ही नहीं बल्कि मोदी सरकार की किसी भी योजना को लिखते ही जो वीडियो या तस्वीरों का कच्चा चिट्ठा उभरता, उसमें 80 फीसदी में प्रधानमंत्री मोदी ही थे।

यानी किसी भी एडिटर के सामने जो तस्वीर स्क्रिप्ट के अनुरुप लगाने की जरुरत होती उसमें बिना मोदी का कोई वीडियो या कोई तस्वीर उभरती ही नहीं। और हर मिनट जब काम एडिटर कर रहा है तो उसके सामने स्क्रिप्ट में लिखे, मौजूदा सरकार शब्द आते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ही तस्वीर उभरती और आन एयर 'मास्टरस्ट्रोक' में चाहे कहीं ना भी प्रधानमंत्री मोदी शब्द बोला – सुना ना जा रहा हो पर स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर आ ही जाती।

तो 'मास्टरस्ट्रोक ' में प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर भी नहीं जानी चाहिये, उसका फरमान भी 100 घंटे बीतने से पहले आ जायेगा ये सोचा तो नही गया पर सामने आ ही गया। और इस बार एडिटर – इन चीफ के साथ जो चर्चा शुरु हुई वह इस बात से हुई कि क्या वाकई सरकार का मतलब प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। यानी हम कैसे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाये बिना कोई भी रिपोर्ट दिखा सकते है। उस पर हमारा सवाल था कि मोदी सरकार ने चार बरस के दौर में 106 योजनाओं का एलान किया है। संयोग से हर योजना का एलान खुद प्रधानमंत्री ने ही किया है। हर योजना के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी चाहे अलग अलग मंत्रालय पर हो। अलग अलग मंत्री पर हो। लेकिन जब हर योजना के प्रचार प्रसार में हर तरफ से जिक्र प्रधानमंत्री मोदी का ही हो रहा है तो योजना की सफलता – असफलता पर ग्राउंड रिपोर्ट में भी जिक्र प्रधानमंत्री का चाहे रिपोर्टर – एंकर ना ले लेकिन योजना से प्रभावित लोगों की जुबां पर नाम तो प्रधानमंत्री मोदी का ही होगा और लगातार है भी। चाहे किसान हो या गर्भवती महिला। बेरोजगार हो या व्यापारी। जब उनसे फसल बीमा पर सवाल पूछें या मातृत्व वंदना योजना या जीएसटी पर पूछें या मुद्रा योजना पर पूछें या तो योजनाओं के दायरे में आने वाले हर कोई प्रधानमंत्री मोदी का नाम जरुर लेते। अधिकांश कहते कि कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो उनकी बातो को कैसे एडिट किया जाए। तो जवाब यही मिला कि कुछ भी हो पर 'प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर – वीडियो भी मास्टरस्ट्रोक में दिखायी नहीं देनी चाहिये।' वैसे ये सवाल अब भी अनसुलझा सा था कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर या उनका नाम भी जुबां पर ना आये तो उससे होगा क्या? क्योंकि जब 2014 में सत्ता में आई बीजेपी के लिये सरकार का मतलब नरेन्द्र मोदी है।

बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ही है। संघ के चेहरे के तौर पर भी प्रचारक रहे नरेन्द्र मोदी हैं। दुनिया भर में भारत के विदेश नीति के ब्रांड एंबेसडर नरेन्द्र मोदी हैं। देश की हर नीति हर पॉलिसी के केन्द्र में नरेन्द्र मोदी हैं तो फिर दर्जन भर हिन्दी राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की भीड़ में पांचवे नंबर के राष्ट्रीय न्यूज चैनल एबीपी के प्राइम टाइम में सिर्फ घंटेभर के कार्यक्रम ' मास्टरस्ट्रोक ' को लेकर सरकार के भीतर इतने सवाल क्यों हैं। या कहें वह कौन सी मुश्किल है जिसे लेकर एपीपी न्यूज चैनलों के मालिकों पर दवाब बनाया जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी का नाम ना लें या फिर तस्वीर भी ना दिखायें।

दरअसल मोदी सरकार में चार बरस तक जिस तरह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही केन्द्र में रखा गया और भारत जैसे देश में टीवी न्यूज चैनलों ने जिस तरह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही दिखाया और धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर, उनका वीडियो और उनका भाषण किसी नशे की तरह न्यूज चैनलों को देखने वाले के भीतर समाते गया, उसका असर ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ही चैनलों की टीआरपी की जरुरत बन गये। और प्रधानमंत्री के चेहरे का साथ सब कुछ अच्छा है या कहें अच्छे दिन की ही दिशा में देश बढ़ रहा है, ये बताया जाने लगा तो चैनलों के लिये भी यह नशा बन गया और ये नशा ना उतरे, इसके लिये बकायदा मोदी सरकार के सूचना मंत्रालय ने 200 लोगों की एक मॉनिटरिंग टीम को लगा दिया।

बकायदा पूरा काम सूचना मंत्रालय के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के मातहत होने लगा, जो सीधी रिपोर्ट सूचना प्रसारण मंत्री को देते। और जो दो सौ लोग देश के तमाम राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की मॉनिटरिंग करते, वह तीन स्तर पर होता है। 150 लोगों की टीम सिर्फ मॉनिटरिंग करती । 25 मानेटरिंग की गई रिपोर्ट को सरकार अनुकूल एक शक्ल देते। और बाकि 25 फाइनल मॉनिटरिंग के कटेंट की समीक्षा करते। उनकी इस रिपोर्ट पर सूचना मंत्रालय के तीन डिप्टी सचिव स्तर के अधिकारी रिपोर्ट तैयार करते। और फाइनल रिपोर्ट सूचना मंत्री के पास भेजी जाती। जिनके जरिए पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी सक्रिय होते और न्यूज चैनलों के संपादको को दिशा निर्देश देते रहते कि क्या करना है कैसे करना है।

और कोई संपादक जब सिर्फ खबरों के लिहाज से चैनल को चलाने की बात कहता तो चैनल के प्रोपराइटर से सूचना मंत्रालय या पीएमओ के अधिकारी संवाद बनाते। दवाब बनाने के लिये मॉनिटरिंग की रिपोर्ट को नत्थी कर फाइल भेजते। और फाइल में इसका जिक्र होता कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री मोदी की 2014 में किये गये चुनावी वादे से लेकर नोटबंदी या सजिकल स्ट्राइक या जीएसटी को लागू करते वक्त दावो भरे बयानो को दुबारा दिखाया जा सकता है। या फिर कैसे मौजूदा दौर की किसी योजना पर होने वाली रिपोर्ट में प्रधानमंत्री के पुराने दावे का जिक्र किया जा सकता है। दरअसल मोदी सत्ता की सफलता का नजरिया ही हर तरीके से रखा जाता रहा जाये इसके लिये खासतौर से सूचना प्रसारण मंत्रालय से लेकर पीएमओ के दर्जन भर अधिकारी पहले स्तर पर काम करते है। और दूसरे स्तर पर सूचना प्रसारण मंत्री का सुझाव होता है। जो एक तरह का निर्देश होता है। और तीसरे स्तर पर बीजेपी का लहजा। जो कई स्तर पर काम करता है। मसलन अगर कोई चैनल सिर्फ मोदी सत्ता की सकारात्मकता को नहीं दिखाता है। या कभी कभी नकारात्मक खबर करता है। या फिर तथ्यों के आसरे मोदी सरकार के सच को झूठ करार देता है तो फिर बीजेपी के प्रवक्ताओ को चैनल में भेजने पर पांबदी लग जाती है। यानी न्यूज चैनल पर होने वाली राजनीतिक चर्चाओ में बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते हैं। एबीपी पर ये शुरुआत जून के आखिरी हफ्ते से ही शुरु हो गई।

यानी बीजेपी प्रवक्ताओं ने चर्चा में आना बंद किया। दो दिन बाद से बीजेपी नेताओ ने बाइट देना बंद कर दिया। और जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का सच मास्टरस्ट्रोक में दिखाया गया उसके बाद से बीजेपी के साथ साथ आरएसएस से जुड़े उनके विचारकों को भी एबीपी चैनल पर आने से रोक दिया गया। तो मन की बात के सच और उसके बाद के घटनाक्रम को समझ उससे पहले ये भी जान लें कि मोदी सत्ता पर कैसे बीजेपी का पेरेंट संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भी निर्भर हो चला है, उसका सबसे बडा उदाहरण 9 जुलाई 2018 को तब नजर आया जब शाम चार बजे की चर्चा के एक कार्यक्रम के बीच में ही संघ के विचारक के तौर पर बैठे एक प्रोफेसर को मोबाइल पर फोन आया और कहा गया कि तुरंत स्टुडियो से बाहर निकलें। और वह शख्स आन एयर कार्यक्रम के बीच ही उठ कर चल पड़ा।

फोन आने के बाद उसके चेहरे का हावभाव ऐसा था, मानो उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है या कहें बेहद डरे हुये शख्स का जो चेहरा हो सकता है, वह सेकेंड में नजर आ गया। पर बात इससे भी बनी नहीं। क्योंकि इससे पहले जो लगातार खबरे चैनल पर दिखायी जा रही थी, उसका असर देखने वालों पर क्या हो रहा है और बीजेपी के

शेष पृष्ठ 6 पर.....

ये आपातकाल नहीं, लोकतंत्र का मित्र

..... पृष्ठ 5 का शेष

प्रवक्ता चाहे चैनल पर ना आ रहा हो पर खबरों को लेकर चैनल की टीआरपी बढ़ने लगी। और इस दौर में टीआरपी की जो रिपोर्ट 5 और 12 जुलाई को आई उसमें एबीपी देश के दूसरे नंबर का चैनल बन गया। और खास बात तो ये भी है कि इस दौर में 'मास्टरस्ट्रोक' में एक्सक्लूसिव रिपोर्ट झारखंड के गोड्डा में लगने वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर की गई। चूकि ये थर्मल पावर तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर ही नहीं बन रहा है बल्कि ये अडानी ग्रुप का है और पहली बार उन किसानों का दर्द इस रिपोर्ट के जरीये उभरा कि अडानी कैसे प्रधानमंत्री मोदी के करीब हैं तो झारखंड सरकार ने नियम बदल दिये और किसानों को धमकी दी जाने लगी कि अगर उन्होंने अपनी जमीन थर्मल पावर के लिये दी तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। बकायदा एक किसान ने कैमरे पर कहा, 'अडानी ग्रुप के अधिकारी ने धमकी दी है जमीन नहीं दिये तो जमीन में गाड़ देंगे। पुलिस को शिकायत किए तो पुलिस बोली बेकार है शिकायत करना। ये बड़े लोग हैं। प्रधानमंत्री के करीबी हैं'। और फिर खून के आंसू रोते किसान उनकी पत्नी।

और इस दिन के कार्यक्रम की टीआरपी बाकी के औसत मास्टरस्ट्रोक से चार-पांच प्वाइंट ज्यादा थी। यानी एबीपी के प्राइम टाइम (रात 9-10 बजे) में चलने वाले मास्ट्रस्ट्रोक की औसत टीआरपी जो 12 थी, उस अडानी वाले कार्यक्रम वाले दिन 17 हो गई। यानी 3 अगस्त को जब संसद में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे ने मीडिया पर बंदिश और एबीपी चैनल को धमकाने- और पत्रकारों को नौकरी से निकलवाने का जिक्र किया तो सूचना प्रसारण मंत्री ने कह दिया कि,'चैनल की टीआरपी ही मास्टरस्ट्रोक कार्यक्रम से नहीं आ रही थी और उसे कोई देखना ही नहीं चाहता था तो चैनल ने उसे बंद कर दिया'। तो असल हालात यहीं से निकलते है क्योंकि एबीपी की टीआरपी अगर बढ़ रही थी। उसका कार्यक्रम मास्टरस्ट्रोक धीरे धीरे लोकप्रिय भी हो रहा था और पहले की तुलना में टीआरपी भी अच्छी-खासी शुरुआती चार महीनो में ही देने लगा था ('मास्टरस्ट्रोक' से पहले 'जन मन' कार्यक्रम चला करता था, जिसकी औसत टीआरपी 7 थी।

मास्ट्रस्ट्रोक की औसत टीआरपी 12 हो गई। ' यानी मास्टर स्ट्रोक की खबरों का मिजाज मोदी सरकार की उन योजनाओं या कहें दावो को ही परखने वाला था, जो देश के अलग अलग क्षेत्रो से निकल कर रिपोर्टरो के जरीये आती थी। और लगातार मास्टरस्ट्रोक के जरीये ये भी साफ हो रहा था कि सरकार के दावों के भीतर कितना खोखलापन है। और इसके लिये बकायदा सरकारी आंकडों के अंतर्विरोध को ही अधार बनाया जाता था। तो सरकार के सामने ये संकट भी उभरा कि जब उनके दावो को परखते हुये उनके खिलाफ हो रही रिपोर्ट को भी जनता पसंद करने लगी है और चैनल की टीआरपी भी बढ़ रही है तो फिर आने वाले वक्त में दूसरे चैनल क्या करेंगे। क्योंकि भारत में न्यूज चैनलों के बिजनेस का सबसे बडा आधार विज्ञापन है। और विज्ञापन को मापने के लिये संस्था बार्क की टीआरपी रिपोर्ट है। और अगर टीआरपी ये दिखलाने लगे कि मोदी सरकार की सफलता को खारिज करती रिपोर्ट जनता पंसद कर रही है तो फिर वह न्यूजचैनल जो मोदी सरकार के गुणगान में खोये हुये हैं, उनके सामने साख और बिजनेस यानी विज्ञापन दोनो का संकट होगा। तो बेहद समझदारी के साथ चैनल पर दबाव बढ़ाने के लिये दो कदम सत्ताधारी बीजेपी के तरफ से उठे। पहला देशभर में एबीपी न्यूज़ चैनल का बायकॉट हुआ। और दूसरा एबीपी का जो भी सालाना कार्यक्रम होता है, जिससे चैनल की साख भी बढ़ती है और विज्ञापन के जरीये कमाई भी होती है।

मसलन एबीपी न्यूज चैनल के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में सत्ता विपक्ष के नेता मंत्री पहुंचते और जनता के सवालों का जवाब देते तो उस कार्यक्रम से बीजेपी और मोदी सरकार दोनों ने हाथ पीछ कर लिये । यानी कार्यक्रम में कोई मंत्री नहीं जायेगा। जाहिर है जब सत्ता ही नहीं होगी तो सिर्फ विपक्ष के आसरे कोई कार्यक्रम कैसे हो सकता है। यानी हर न्यूज चैनल को साफ मैसेज दे दिया गया कि विरोध करेंगे तो चैनल के बिजनेस पर प्रभाव पड़ेगा। यानी चाहे अनचाहे मोदी सरकार ने साफ संकेत दिये की सत्ता अपने आप में बिजनेस है। और चैनल भी बिना बिजनेस ज्यादा चल नहीं पायेगा। कुछ संपादक कह सकते हैं कि उन पर कहीं कोई दबाव रहता नहीं तो फिर सच ये भी है कि अगर वे पहले से सत्तानकूल हैं या आलोचना करने भर के लिए आलोचना करते दिखते हैं तो सरकार को क्या दिक्कत।

पर पहली बार एबीपी न्यूज़ चैनल पर असर डालने के लिये या कहें कहीं सारे चैनल मोदी सरकार के गुणगान को छोड कर ग्राउंड जीरो से खबरें दिखाने की दिशा में बढ़ ना जाये, उसके लिये शायद दुनिया के सबसे बड़े लोकतात्रिक देश में लोकतंत्र का मित्र बनकर लोकतंत्र का ही गला घोंटने की कार्यवाही सत्ता ने शुरु की। यानी इमरजेन्सी थी तब मीडिया को एहसास था कि संवैधानिक अधिकार समाप्त है। पर यहां तो लोकतंत्र का राग है और 20 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरीये किसान लाभार्थियों से की। उस बातचीत में सबसे आगे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कन्हारपुरी गांव में रहने वाली चंद्रमणि कौषी थीं। उनसे जब प्रधानमंत्री ने कमाई के बारे में पूछा तो बेहद सरल तरीके से चद्रमणि ने बताया कि उसकी आय कैसे दुगुनी हो गई। तो आय दुगुनी हो जाने की बात सुन कर प्रधानमंत्री खुश हो गये, खिलखिलाने लगे।

क्योंकि किसानो की आय दुगुनी होने का टारगेट प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 का रखा है। और लाइव टेलीकास्ट में कोई किसान कहे कि उसकी आय दुगुनी हो गई तो प्रधानमंत्री का खुश होना तो बनता है। पर रिपोर्टर-संपादक के दृष्टिकोण से हमे ये सच पचा नहीं। क्योंकि छत्तीसगढ़ यूं भी देश के सबसे पिछड़े इलाको में से एक है और फिर कांकेर जिला, जिसके बारे में सरकारी रिपोर्ट ही कहती है और जो अब भी काकरे के बारे में सरकारी बेबसाइट पर दर्ज है कि ये दुनिया के सबसे पिछड़े इलाके यानी अफ्रीका या अफगानिस्तान की तरह है। तो फिर यहां की कोई महिला किसान आय दोगुनी होने की बात कह रही है तो रिपोर्टर को खासकर इसी रिपोर्ट के लिये भेजा।

और 14 दिन बाद 6 जुलाई को जब ये रिपोर्ट दिखायी गई कि कैसे महिला को दिल्ली से गये अधिकारियों ने ट्रेल्नग दी कि उसे प्रधानमंत्री के सामने क्या बोलना है। कैसे बोलना है। धान के बजाय पल्प के धंधे से होने वाली आय की बात को कैसे गड्मड कर अपनी आय दुगुनी होने की बात कहनी है । तो झटके में रिपोर्ट दिखाये जाने के बाद छत्तीसगढ में ही ये सवाल होने लगे कि कैसे चुनाव जीतने के लिये छत्तीसगढ की महिला को ट्रेनिंग दी गई।(छत्तीसगढ में 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव है) यानी इस रिपोर्ट ने तीन सवालों को जन्म दे दिया। पहला, क्या अधिकारी प्रधानमंत्री को खुश करने के लिये ये सब करते है। दूसरा, क्या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि सिर्फ उनकी वाहवाही हो तो झूठ बोलने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। तीसरा, क्या प्रचार प्रसार का तंत्र ही है जो चुनाव जिता सकता है।

हो जो भी पर इस रिपोर्ट से आहत मोदी सरकार ने एबीपी न्यूज चैनल पर सीधा हमला ये कहकर शुरु किया कि जानबूझकर गलत और झूठी रिपोर्ट दिखायी गई। और बाकायदा सूचना प्रसारण मंत्री समेत तीन केन्द्रीय मंत्रियों ने एक सरीखे ट्वीट किये। और चैनल की साख पर ही सवाल उठा दिये। जाहिर है ये दबाव था । सब समझ रहे थे । तो ऐसे में तथ्यों के साथ दुबारा रिपोर्ट फाइल करने के लिये जब रिपोर्टर ज्ञानेन्द्र तिवारी को भेजा गया तो गांव का नजारा ही कुछ अलग हो गया। मसलन गांव में पुलिस पहुंच चुकी थी। राज्य सरकार के बड़े अधिकारी इस भरोसे के साथ भेजे गये थे कि रिपोर्टर दोबारा उस महिला तक पहुंच ना सके। पर रिपोर्टर की सक्रियता और भ्रष्टाचार को छुपाने पहुंचे अधिकारी या पुलिसकर्मियो में इतना नैतिक बल ना था या वह इतने अनुशासन में रहने वाले नहीं थे कि रात तक डटे रहते।

दिन के उजाले में खानापूर्ति कर लौट आये। तो शाम ढलने से पहले ही गांव के लोगों ने और दुगुनी आय कहने वाली महिला समेत महिला के साथ काम करने वाली 12 महिलाओं के ग्रुप ने चुप्पी तोड़कर सच बता दिया तो हालत और खस्ता हो गई है । और 9 जुलाई को इस रिपोर्ट के ' सच ' शीर्षक के प्रसारण के बाद सत्ता-सरकार की खामोशी ने संकेत तो दिये कि वह कुछ करेगी। और उसी रात सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले न्यू चैनल मॉनिटरिंग की टीम में से एक शख्स ने फोन से जानकारी दी कि आपके मास्टरस्ट्रोक चलने के बाद से सरकार में हडकंप मचा हुआ है। बाकायदा एडीजी को सूचना प्रसारण मंत्री ने हड़काया है कि क्या आपको अंदेशा नहीं था कि एबीपी हमारे ट्वीट के बाद भी रिपोर्ट फाइल कर सकता है।

अगर ऐसा हो सकता है तो हम पहले ही नोटिस भेज देते। जिससे रिपोर्ट के प्रसारण से पहले उन्हें हमें दिखाना पड़ता। जाहिर है जब ये सारी जानकारी 9 जुलाई को सरकारी मॉनिटरिंग करने वाले सीनियर मॉनिटरिंग के पद को संभाले शख्स ने दी । तो मुझे पूछना पड़ा कि क्या आपको कोई नौकरी का खतरा नहीं है जो आप हमें सारी जानकरी दे रहे हैं । तो उस शख्स ने साफ तौर पर कहा कि दो सौ लोगों की टीम है। जिसकी भर्ती ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कारपोरेशन इंडिया लिं. करती है। छह महीने के कान्ट्रेक्ट पर रखती है चाहे आपको कितने भी बरस काम करते हुये हो जाये। छुट्टी की कोई सुविधा है नहीं। मॉनिटरिंग करने वालों को 28635 रुपये मिलते हैं तो सीनियर मानेटरिंग करने वालों को 37,350 रुपये और कन्टेट पर नजर रखने वालो को 49,500 रुपये। तो इतने वेतन की नौकरी जाये या रहे फर्क क्या पडता है। पर सच तो यही है कि प्राइम टाइम के बुलेटिन पर नजर रखने वालो को यही रिपोर्ट तैयार करनी होती है कितना वक्त आपने प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया। जो चैनल मोदी को सबसे ज्यादा दिखाता है उसे सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है । तो हम मास्टरस्ट्रोक में प्रधानमंत्री मोदी को तो खूब देखते हैं। लगभग हंसते हुये उस शख्स ने कहा आपके कटेन्ट पर एक अलग से रिपोर्ट तैयार होती है। और आज जो आपने दिखाया है उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है। बस सचेत रहियेगा।

यह कहकर उसने तो फोन काट दिया। वैसे, मॉनिटरिंग करने वाले की शैक्षिक योग्यता है ग्रेजुएशन और एक अदद डिप्लोमा। पर मैं भी सोचने लगा होगा। इसकी चर्चा चैनल के भीतर हुई भी पर ये किसी ने नहीं, सोचा था कि हमला तीन स्तर पर होगा। और ऐसा हमला होगा कि लोकतंत्र टुकुर टुकुर देखता रह जायेगा। क्योंकि लोकतंत्र के नाम ही लोकतंत्र का गला घोंटा जायेगा। तो अगले ही दिन से जैसे ही रात के नौ बजे एबीपी न्यूज़ चैनल का सैटेलाइट लिंक अटकने लगता। और फिर रोज नौ बजे से लेकर रात दस बजे तक कुछ इस तरह से सिग्नल की डिस्टरबेंस रहती कि कोई भी मास्टरस्ट्रोक देख ही ना पाये। या देखने वाला चैनल बदल ही ले। और दस बजते ही चैनल फिर ठीक हो जाता।

जाहिर है ये चैनल चलाने वालों के लिये किसी झटके से कम नहीं था। तो ऐसे में चैनल के प्रोपराइटर व एडिटर-इन चीफ ने तमाम टैक्नीशियन्स को लगाया। ये क्यों हो रहा है। पर सेकेंड भर के लिये किसी टेलीपोर्ट से एबीपी सैटेलाईट लिंक पर फायर होता और जब तक एबीपी के टेकनिश्न्यन्स एबीपी का टेलीपोर्ट बंद कर पता करते कि कहां से फायर हो रहा है, तब तक उस टेलीपोर्ट के मूवमेंट होते और वह फिर चंद मिनट में सेकेंड भर के लिये दुबारा टेलीपोर्ट से फायर करता। यानी औसत तीस से चालीस बार एबीपी के सैटेलाइट सिग्नल को ही प्रभावित कर विघ्न पैदा किया जाता। और तीसरे दिन सहमति यही बनी की दर्शको को जानकारी दी जाये। तो 19 जुलाई को सुबह से ही चैनल पर जरुरी सूचना कहकर चलाना शुरु किया गया,' पिछले कुछ दिनो से आपने हमारे प्राइम टाइम प्रसारण के दौरान सिग्नल को लेकर कुछ रुकावटे देखी होगी । हम अचानक आई इन दिक्कतों का पता लगा रहे हैं और उन्हे दूर करने की कोशिश में लगे है। तब तक आप एबीपी न्यूज से जुड़े रहें। ' ये सूचना प्रबंधन के मशविरे से आन एयर हुआ। पर इसे आन एयर करने के दो घंटे बाद ही यानी सुबह 11 बजते बजते हटा लिया गया और हटाने का निर्णय भी प्रबंधन का ही रहा।

यानी दबाव सिर्फ ये नहीं कि चैनल डिस्टर्ब होगा। बल्कि इसकी जानकारी भी बाहर जानी नही चाहिये। यानी मैनेजमेंट कही खड़े ना हो। और इसी के सामानांतर कुछ विज्ञापनदाताओ ने विज्ञापन हटा लिये या कहें रोक लिये। मसलन सबसे बड़ा विज्ञापनदाता जो विदेशी ताकतों से स्वदेशी ब्रांड के नाम पर लड़ता है और अपने सामान को बेचता है, उसका विज्ञापन झटके में चैनल के स्क्रीन से गायब हो गया। फिर अगली जानकारी ये भी आने लगी कि विज्ञापनदाताओं को भी ऑश्य शक्तियां धमका रही हैं कि वह विज्ञापन बंद कर दें यानी लगातार 15 दिन तक सैटेलाइट लिंक में दखल। और सैटेलाइट लिंक में डिस्टरबेंस का मतलब सिर्फ एबीपी का राष्ट्रीय हिन्दी न्यूज़ चैनल भर ही नहीं बल्कि चार क्षेत्रीय भाषा के चैनल भी डिस्टर्ब होने लगे। और रात नौ से दस बजे कोई आपका चैनल ना देख पाये तो मतलब है जिस वक्त सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, उसी वक्त आपको कोई नही देखेगा।

यानी टीआरपी कम होगी ही। यानी मोदी सरकार के गुणगान करने वाले चैनलों के लिये राहत कि अगर वह सत्तानुकूल खबरों में खोये हुये हैं तो उनकी टीआरपी बनी रहेगी। और जनता के लिये सत्ता ये मैसेज दे देगी कि लोग तो मोदी को मोदी के अंदाज में सफल देखना चाहते है। जो सवाल खड़ा करते है उसे जनता देखना ही नही चाहती। यानी सूचना प्रसारण मंत्री को भी पता है कि खेल क्या है तभी तो संसद में जवाब देते वक्त वह टीआरपी का जिक्र करने से चूके। पर स्क्रीन ब्लैक होने से पहले टीआरपी क्यों बढ़ रही थी, इस पर कुछ नहीं बोले । खैर ये पूरी प्रक्रिया है जो चलती रही। और इस दौर में कई बार ये सवाल भी उठे कि एबीपी को ये तमाम मुद्दे उठाने चाहिये।

मास्टर स्ट्रोक के वक्त अगर सेटेलाइट लिंक खराब किया जाता है तो कार्यक्रम को सुबह या रात में ही रिपीट टेलिकास्ट करना चाहिये। पर हर रास्ता उसी दिशा में जा रहा था जहां सत्ता से टकराना है या नहीं। और खामोशी हर सवाल का जवाब खुद ब खुद दे रही थी। तो पूरी लंबी प्रक्रिया का अंत भी कम दिलचस्प नहीं है। क्योंकि एडिटर-इन-चीफ यानी प्रोपराइटर या कहें प्रबंधन जब आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाये कि बताइये करें क्या? और इन हालातों में आप खुद क्या कर सकते है छुट्टी पर जा सकते हैं। इस्तीफा दे सकते है। और कमाल तो ये है कि इस्तीफा देकर निकले नहीं कि पतंजलि का विज्ञापन लौट आया। मास्टरस्ट्रोक में भी विज्ञापन बढ़ गया। 15 मिनट का विज्ञापन जो घटते घटते तीन मिनट पर आ गया था वह बढ़कर 20 मिनट हो गया। 2 अगस्त को इस्तीफा हुआ और 2 अगस्त की रात सैटेलाइट सिग्नल भी संभल गया। और काम करने के दौर में जिस दिन संसद के सेन्ट्रल हाल में कुछ पत्रकारों के बीच एबीपी चैनल को मजा सिखाने की धमकी देते हुये 'पुण्य प्रसून खुद को क्या समझता है' कहा गया। उससे दो दिन पहले का सच और एक दिन बाद का सच ये भी है कि रांची और पटना में बीजेपी का सोशल मीडिया संभालने वालों को बीजेपी अध्यक्ष निर्देश देकर आये थे ..'पुण्य प्रसून को बख्शना नही है। सोशल मीडिया से निशाने पर रखें।

और यही बात जयपुर में भी सोशल मीडिया संभालने वालो को गई। पर सत्ता की मुश्किल यह है कि धमकी, पैसे और ताकत की बदौलत सत्ता से लोग जुड़ तो जाते है पर सत्ताधारी के इस अंदाज में खुद को ढाल नहीं पाते। तो रांची-पटना-जयपुर से बीजेपी के सोशल मीडियावाले ही जानकारी देते रहे आपके खिलाफ अभी और जोर शोर से हमला होगा। तो फिर आखिरी सवाल जब खुले तौर पर सत्ता का खेल हो रहा है तो फिर किस एडिटर गिल्ड को लिखकर दें या किस पत्रकार संगठन से कहें संभल जाओ। सत्तानुकूल होकर मत कहो शिकायत तो करो फिर लडेंगे। जैसे एडिटर गिल्ड नहीं बल्कि सचिवालय है और संभालने वाले पत्रकार नहीं सरकारी बाबू है। तो गुहार यही है लड़ो मत पर दिखायी देते हुये सच को देखते वक्त आंखों पर पट्टी तो ना बांधो।

मुख्यमंत्री का 15वें वित्तायोग से राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं खर्च का उचित मूल्यांकन करने का आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने राज्य की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों व प्रतिकूल जलवायु के दृष्टिगत वित्त आयोग से राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं खर्च का उचित मूल्यांकन करने का आग्रह किया है। वह 15वें वित्त आयोग के साथ बैठक को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं तथा पूंजीगत परिसम्पत्तियां जैसे सड़क, स्वास्थ्य, शैक्षणिक संस्थानों, सिचाई, पेयजल व बिजली योजनाओं आदि का निर्माण तथा

रख-रखाव पर काफी लागत आती है। उन्होंने कहा कि राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों की आवश्यकता मैदानी क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। उन्होंने कहा कि पूरे भारत में औसतन चार गांवों पर एक स्वास्थ्य उप केन्द्र है, जो 5624 लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है, जबकि राज्य में औसतन 10 गांवों पर एक स्वास्थ्य उप-केन्द्र है, जो केवल 2987 लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 87 प्रतिशत लघु और सीमान्त किसान हैं और राज्य में केवल 20.5 प्रतिशत क्षेत्र में ही सिचाई सुविधाएं उपलब्ध हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह औसत 46 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रति इकाई उपज राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश राजस्व घाटे वाला प्रदेश है तथा इसे विकासात्मक कार्यों के लिए कर्ज पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यद्यपि राज्य सरकार समझदारी से कर्ज ले रही है तथा बेहतर नकदी प्रबन्धन से राज्य के कर्ज को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में लाने में मदद मिली है, जो वर्ष 2007-08 में 65 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2016-17 में 35 प्रतिशत रह गया है। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पास कर्ज अदायगी के बाद सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में निवेश के बहुत कम संसाधन रह गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व घाटायुक्त प्रदेश होने के कारण तथा आबंटन पूर्व घाटा पाटने के लिए केन्द्रीय करों में से राज्य का हिस्सा बहुत कम है। उन्होंने आयोग से राज्य के लिए उचित अनुदान प्रदान करने का अनुरोध किया, जिससे आंबटन के पश्चात हुए राजस्व घाटे की भरपाई की जा सके तथा राज्य के पास पर्याप्त राजस्व भी हो और साथ ही बुनियादी ढांचागत कार्यों में उचित धन की व्यवस्था हो सके।

उन्होंने कहा कि राज्य अपना राजस्व बढ़ाने के लिए बेहतर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005-06 में वैट से वार्षिक राजस्व 727 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2016-17 में बढ़कर 4382 करोड़ रुपये हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी के लागू होने के बाद करों में बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 महीनों में जीएसटी में अनुमानित राजस्व प्राप्ति में 40 प्रतिशत राजस्व की कमी आंकी गई है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राजस्व संरक्षण ढांचा केवल पहले 27 महीनों के लिए उपलब्ध है। उन्होंने मामले पर विचार करने का आग्रह किया ताकि राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सके।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में 1.50 लाख करोड़ रुपये की वन सम्पदा मौजूद है और वैज्ञानिक वनवर्धकीय कृषि कार्य व पारिस्थितिक व्यवहार्य वन लॉगिंग से राज्य में प्रतिवर्ष 4000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय कानूनों द्वारा वन सम्पदाओं के दोहन पर प्रतिबन्ध लगने के कारण प्रदेश को भारी राजस्व का घाटा उठाना पड़ रहा है। उन्होंने वित्त आयोग से इस राजस्व घाटे की भरपाई के लिए उचित मुआवजा प्रदान करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को वर्ष 2014-15 में योजना आयोग से 3000 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। उन्होंने 15वें वित्तायोग से आग्रह किया कि इस घाटे पर विशेष विचार किया जाए, जो पूर्व के वित्तायोग द्वारा समाप्त करने के परिणामस्वरूप प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को विशेष श्रेणी में लाने के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य बाढ़, आकस्मिक बाढ़, बादल फटना, सूखा, वन्य अग्नि, शीत लहरों, हिमस्खलन इत्यादि जैसे विभिन्न खतरे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में इस वर्ष 17 सितम्बर तक मानसून के दौरान 1217 करोड़ रुपये का मौद्रिक नुकसान हुआ है। उन्होंने इस कठिन चुनौती से निपटने के लिए राज्य आपदा राहत निधि के लिए हर वर्ष 800 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने के लिए आयोग से आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 14वें वित्तायोग ने सिफारिश की थी कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को अनुशंसित सभी अनुदान सीधे ग्राम पंचायतों को दिए जाने चाहिए, जिससे चुन कर आए पंचायत समिति तथा जिला परिषद सदस्यों में नाराजगी उत्पन्न हुई। उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि वे जिला परिषद व पंचायत समितियों को कुछ अनुदान की सिफारिशें देने का अधिकार प्रदान करने पर विचार करें क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के अन्तर्गत दो स्तरों पर ऐसे प्रतिनिधियों को चुना गया है, जो न केवल योजनाएं बना सकते हैं बल्कि इन्हें स्थानीय स्तर पर उपयुक्त तरीके से लागू कर सकते हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य में 27000 मैगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, जो देश की कुल जल विद्युत क्षमता का एक चौथाई है तथा राज्य ने इसमें से 10500 मैगावाट क्षमता का दोहन किया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र विद्युत उत्पादक मौजूदा कम दर क्षमता के उपयोग और बिजली की बिक्री दर में गिरावट के कारण बिजली परियोजनाएं लगाने में रूचि नहीं ले रहे हैं। उन्होंने आयोग से जल विद्युत ऊर्जा के उत्पादन को बिना किसी ऊपरी सीमा के सौर ऊर्जा की तर्ज पर नवीकरणीय ऊर्जा घोषित करने का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाओं के चलते राजस्व तथा रोजगार सृजन के बेहतर अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि राज्य अपने सीमित संसाधनों के कारण इस क्षमता का पूरी तरह से दोहन नही कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य में केवल 57 किलोमीटर रेल लाईनों का विस्तार किया गया है तथा राज्य में ऐसा कोई हवाई अड्डा नही है, जिसमें बड़े विमानों को उतारा जा सके। अत: उन्होंने आयोग से आग्रह किया कि राज्य में रेल नेटवर्क को बढ़ाया जाए तथा प्रदेश में बड़े हवाई अड्डों का निर्माण किया जाए, जिसमें बड़े विमान उतारे जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रदेश के लोगों के लिए वरदान साबित हुई है, क्योंकि इसके अन्तर्गत प्रदेश में अधिकतम सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि यहां इन सड़कों का रख-रखाव सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि अन्य आधारभूत परियोजनाओं जैसे जल विद्युत, सिचाई, पेयजल के रख-रखाव पर भारी मात्रा में धन की आवश्यकता है।

उन्होंने आयोग से राज्य में बन्दरों के आतंक की समस्या का समाधान करने में सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस समस्या के कारण राज्य के किसानों ने फसल लगाना बन्द कर दिया है जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य को बड़ी परियोजनाओं जैसे पौंग बांध, शानन परियोजना तथा भाखड़ा ब्यास प्रबन्धन बोर्ड से सम्बन्धित परियोजनाओं में अपना न्यायोचित हिस्सा नहीं मिला है। उन्होंने आयोग से इन मुद्दों का केन्द्र तथा दूसरे संबंधित प्रदेशों से बातचीत के माध्यम से हल निकालने का आग्रह किया।

वर्तमान प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सिक्किम के बाद दूसरा बाह्य शौचमुक्त राज्य घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में राज्य को सुशासन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में राज्य के वन आवरण में 2.67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया जन मंच ज़मीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए एक प्रभावी माध्यम साबित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का ग्रामीण स्वरूप इसकी विशेषता है तथा इसमें रोजगार के अवसर नगण्य हैं और इसी कारण प्रदेश का युवा रोजगार के लिए सरकार की ओर देखता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रोजगार व जीविका के साधन बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं आरम्भ की हैं। मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना तथा कौशल विकास भत्ता आदि योजनाएं इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है।

15वें वित्तायोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने आश्वासन दिया कि आयोग प्रदेश को धन का आवंटन करते समय राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखेगा। आयोग के अन्य सदस्यों ने भी परिचर्चा में भाग लिया।

47 हजार करोड़ रुपये का कर्जा एकमुश्त ग्रांट देकर समाप्त किया जाए

शिमला/शैल। कांग्रेस विधायक दल का प्रतिनिधिमंडल मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में 15वें वित्तायोग से मिला। उनके साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राम लाल ठाकुर, डॉ.(कर्नल) धनी राम शांडिल और हर्षवर्धन चौहान शामिल थे।

कांग्रेस पार्टी का मानना है कि हिमाचल प्रदेश का गठन राजनैतिक जरूरतों के मद्देनजर हुआ और इसमें प्रदेश का आर्थिक पोषण केंद्र और वित्तायोग को करना है। कांग्रेस पार्टी ने अपने ज्ञापन में प्रदेश सरकार द्वारा रखे गए तमाम प्रस्तावों का समर्थन किया और कहा कि

प्रदेश के पास सीमित संसाधन होने के कारण आय के सत्रोत कम है। इसलिए राज्य का वित्तीय अस्तित्व वित्तायोग की सिफारिशों पर निर्भर करता है।

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 14वें वितायोग की वजह से प्रदेश आर्थिक तौर पर विकास और कल्याण की जरूरतें पूरा करने में सक्षम रहा है और उसमें 232 फीसदी का इज़ाफा हुआ तथा केंद्रीय करों को भी 32 से 42 फीसदी किया गया था।

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश पर 47 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है, जिसे एकमुश्त ग्रांट देकर समाप्त किया जाए। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा घोषित 70 राष्ट्रीय उच्च मार्गों के 65 हजार करोड़ रुपये की राशि प्रदेश को मुहैया करवाने की वकालत भी की है।

कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश की आय और खर्चे का सही मूल्यांकन करते हुए इस अंतर को वित्तायोग द्वारा भरने की मांग की है क्योंकि पहाड़ी प्रदेश के संचालन में भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से प्रशासनिक खर्चे, अन्य राज्यों से ज्यादा रहते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने BBMB हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में राज्य के हिस्से की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी है, जिससे राज्य को लगभग 25,000 करोड़ रुपये की आमदनी होना अनुमानित है। इसलिए पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को सर्वोच्च अदालत के आदेश के फैसले के मुताबिक राज्य का हिस्सा देने के लिए बाध्य किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश को नॉर्थ-इस्ट की तर्ज पर आद्योगिक पैकेज दिए जाने की सिफारिश भी की है।

कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की वन सम्पदा के संरक्षण और पर्यावरण के बचाव के लिए प्रदेश ने व्यापक कदम उठाए हैं और हरे पेड़ों के कटान पर रोक लगाई है, इसकी एवज़ में प्रदेश की मदद की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को तमाम प्रोजैक्ट्स में 90:10 की रेशो में फंडिंग होनी चाहिए। खासकर प्रदेश को मिले दा स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट्स में 50:50 के अनुपात में जो फंडिंग देने का फैसला हुआ है उसे 90:10 में किया जाए।

कांग्रेस पार्टी ने पंचायतीराज तंत्र में पंचायतों की तर्ज पर ब्लॉक समिति और जिला परिषदों को भी फंडिंग करने का आग्रह किया है क्योंकि पिछली दफा यह भी एक अड़चन आय थी जिससे दोनों संस्थानों की प्रासंगिकता पर असर पड़ा है।

कांग्रेस पार्टी ने पर्यटन क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की मदद करने की बात कही है और कहा कि हिमाचल प्रदेश के हवाई अड्डों और रेल लिंक्स को बढ़ावा देने के लिए पुख्ता मदद की जाए। पार्टी ने कहा कि शिमला में गत वर्ष पानी की कमी के चलते अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की साख पर असर पड़ा है। इसलिए पर्यटक स्थल शिमला की पेयजल योजना के लिए प्रदेश को एकमुश्त मदद दी जाए।

कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्राचीन धरोहर(Heritage Character) को देखते हुए इसके विस्तार के लिए 100 करोड़ रुपये की मदद की मांग की है।

कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में बरसात से हो रहे नुकसान के लिए केंद्रीय वित्तायोग द्वारा 1300 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 5 हजार करोड़ रुपये तक किए जाने की बात कही है और यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले 'राजस्व घाटा अनुदान' को आने वाले समय में भी जारी रखा जाए तथा इसमें बढ़ोतरी भी की जाए। उन्होनें केंद्रीय करो में हिमाचल के 42% हिस्से को 50% करने की वकालत भी की है।

कांग्रेस पार्टी ने GST की वजह से हिमाचल प्रदेश को हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए लम्बी अवधि तक क्षतिपूर्ति मुआवजा देने की मांग भी की है। पार्टी ने पहाड़ी प्रदेश के लिए विशेष वित्तीय पैकेज की मांग करते हुए 15वें वित्तायोग से खुले दिल से प्रदेश की मदद करने व निर्धारित प्रोजैक्ट्स के लिए धनराशि जारी करने के लिए दबाव बनाया है। हिमाचल प्रदेश की आय के मुख्य साधन पावर प्रोजैक्ट्स और पन बिजली प्रोजैक्ट्स हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इसमें नीति परिवर्तन के बाद प्रदेश को धक्का लगा है और पन बिजली के क्षेत्र में 20 फीसदी आय का सत्रोत होने के बावजूद भी आय में कमी आई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ऐसे में वित्तायोग हिमाचल प्रदेश की मदद करें।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

विभाग और मन्त्री को नज़रअन्दाज करके मुख्यसचिव ने झारखण्ड से बुलाया डैपुटेशन पर एक अधिकारी

शिमला/शैल। सरकार में सरकारी कामकाज निपटाने के लिये वाकायदा रूलज़ ऑफ बिजनेस बने हुए हैं और यह सदन से भी पारित है। इन नियमों में सरकार की हर कर्मचारी एवम् अधिकारी की कार्य शक्तियां परिभाषित हैं। इन नियमों के अतिरिक्त हर विभाग में इस आश्य का एक स्टैण्डिंग आर्डर भी रहता है। इसमें स्पष्टत: परिभाषित रहता है कि विभाग से संबंधित किस विषय का निपटारा सचिव के ही स्तर पर हो जायेगा और किस विषय में मन्त्री के स्तर पर ही फैसला होगा तथा कौन सा विषय मुख्यमन्त्री या मन्त्री से जायेगा। इन शक्तियों का सामान्यत अतिक्रमण नही किया जाता है और अतिक्रमण को शक्तियों के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार की संज्ञा दी जाती है।

फिर जब ऐसा अक्रिमण जब मुख्य सचिव के स्तर पर हो जाये तो उसे क्या कहा जायेगा। अभी कुछ दिन पहले सहकारिकता विभाग में एक महिला अधिकारी झारखण्ड सरकार से डैपुडेशन पर शिमला पंहुच गयी। शिमला पंहुच कर महिला अधिकारी ने विभाग में जाकर जब ज्वाईनिंग देने के लिये संपर्क किया तो विभाग हैरान हो गया कि यहां पर दूसरे राज्य से अधिकारी की सेवाएं लेने की आवश्यकता क्यों और कैस पड़ गयी। जब विभाग में इसकी पड़ताल की गयी तब पता चला कि विभाग की ओर से ऐसा कोई आग्रह झारखण्ड सरकार को गया ही नही है तो फिर यह महिला अधिकारी बतौर सहायक पंजियक झारखण्ड से पदमुक्त होकर शिमला कैसे आ गयी। पता करने पर यह सामने आया कि इस महिला का पति प्रदेश के पुलिस विभाग में बतौर डीआईजी कार्यरत है और उसने अपनी पत्नी को शिमला लाने के लिये मुख्य सचिव से आग्रह किया था। मुख्य सचिव ने इस आग्रह पर अपने ही स्तर पर झारखण्ड सरकार को पत्र भेज दिया जिसके परिणामस्वरूप वहां की सरकार ने इस महिला अधिकारी को पदमुक्त करके शिमला भेज दिया। अब इस महिला अधिकारी श्रीमति जलाल को विभाग में ज्वाईन करवाने को लेकर समस्या खड़ी हो गयी है।

सहकारिता विभाग में 2013 को जारी हुए स्टैण्डिंग आर्डर के मुताबिक विभाग से किसी को डैपूटेशन पर भेजने और विभाग में किसी को डैपुटेशन पर लेने का फैसला लेने के लिये केवल संबंधित मन्त्री ही अधिकृत हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि मुख्यसचिव ने विभाग और उसके मन्त्री को बाईपास करके अपने ही स्तर ऐसा फैसला कैसे ले लिया? क्या मुख्यसचिव की नजर में विभाग के मन्त्री की कोई अहमियत नही है। जबकि यही मुख्यसचिव जब वीरभद्र शासन में नज़रअन्दाज हुए थे तब कैट में यही याचिका लेकर गये थे कि कार्मिक विभाग का प्रस्ताव नियमों के विरूद्ध है। वैसे तो दिल्ली के ऐम्ज़ में रही तैनाती के दौरान भी इन पर अपने पद के दुरूपयोग का मामला अभी तक चल रहा है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जो अधिकारी एक डैपुटेशन के मामले में उन शक्तियों का प्रयोग कर जाये जो नियमों में उसके पास है ही नही तो ऐसा अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरूपयोग किस स्तर तक कर सकता है इसकी कल्पना करना भी भयावह लगता है। यह अधिकारी प्रदेश के प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सदस्य के खाली पद के लिये आवेदक है। यह भी चर्चा है कि प्रदेश में रेरा की स्थापना भी इन्ही को वहां समायोजित करने के लिये की जा रही है। जबकि एनजीटी के आदेश के मुताबिक अब प्रदेश में अढ़ाई मंजिल से अधिक निर्माण हो ही नही सकता है। इस परिदृश्य में प्रदेश में कोई भी बिल्डर कितना निवेश करने को तैयार होगा। वैसे जब इस स्तर का अधिकारी किसी विभाग के मन्त्री को नज़र अन्दाज कर जाये तो इससे मन्त्री और मुख्यमन्त्री के बीच भी संबंधों को लेकर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। वैसे जब चौधरी वीरभद्र शासन में नज़रअन्दाज होने से आहत होकर स्वयं स्टडीलीव पर चले गये थे तब इन्होने जाने से पहले वाकायदा सरकार को बांड भरकर दिया था। लेकिन जब छुट्टी स्थगित करके वापिस आ गये थे तब इस बॉड की रिकवरी के लिये कार्मिक विभाग ने जो कारवाई शुरू की थी वह अब तक लंबित चली आ रही है। बॉड के मुताबिक इन्हें सरकार को करीब पांच लाख रूपये देने हैं। अब क्या जयराम बतौर मुख्यमन्त्री इस पांच लाख की रिकवरी को अन्जाम देते हैं या नही इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है।

होटल लैण्डमार्क को लेकर जनहित याचिका हुई दायर

शिमला/शैल। प्रदेश में अवैध भवन निर्माण एक बहुत बड़ी समस्या बन गये हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और सर्वोच्च न्यायालय तक ने इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए इसके खिलाफ कारवाई के निर्देश जारी किये हैं। यही नहीं इन निमार्णो के लिये जिन संवद्ध विभागों के अधिकारी और कर्मचारी जिम्मेदार रहे हैं उन्हें भी चिन्हित करके उनके खिलाफ कारवाई किये जाने के निर्देश दिये हैं और उनकी सूची तक अदालत में तलब की है। इन अवैध निमार्णों में आवासीय भवनों से ज्यादा तो होटल इसके दोषी पाये गये हैं। सैंकड़ों होटलों के अवैधताओं के चलते बिजली पानी के कनैक्शन काट दिये गये हैं। यह अवैध निर्मित होटल वैध कमाई का साधान बने हुए हैं। यह अवैध निर्माण संवद्ध प्रशासन के परोक्ष-अपरोक्ष सहयोग के बिना संभव नही हो सकते हैं। इन्ही आरोपों को लेकर शिमला के होटल लैण्डमार्क को लेकर एक डॉ. पवन कुमार बंटा ने प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है। इस याचिका में होटल मालिक विनोद अग्रवाल के साथ प्रदेश सरकार टी सी पी तथा नगर निगम शिमला व उसके कुछ अधिकारी और बिजली बोर्ड के अधिशासी अभियन्ता को प्रतिवादी बनाया गया है। आरोप है कि इन सभी विभागों ने इस होटल निर्माण में हुई अवैधाताओं के प्रति औखें मूंद कर सहयोग दिया है।

इस होटल निर्माण में अवैधताओं का पहला आरोप है कि इनसे जान बूझकर नगर निगम ने पॉर्पटी टैक्स पूरा नही वसूला है और जब यह उसके संज्ञान में आ गया उसके बाद भी इसे वसूलने के प्रयास नही किये गये। दूसरा आरोप पानी के कनैक्शन को लेकर है। इसमें अलग-अलग नामों के कई कनैक्शन दिये गये। जो कनैक्शन निर्माण के लिये दिया गया था न तो उसे निर्माण पूरा होने के बाद काटा गया और न ही नये सिरे से जारी किया गया। यही नही इस पर नगर निगम ने आर टी आई के तहत यह जवाब दिया है कि प्लानिंग एरिया में पानी कनैक्शन के लिये कोई नियम नीति ही नही है। तीसरा आरोप वैनक्वैट हॉल को लेकर है इसमें प्रवेश और निकासी के लिये केवल एक ही मार्ग है जबकि नियमों के मुताबिक दो होने चाहिये थे। ऐसे में इसे होटल चलाने का एन ओ सी कैसे जारी हो गया। इसके साथ ही होटल के सबसे उपर बने पार्क को लेकर है। इस पार्क के रखाव का खर्च नगर निगम कर रहा है। जिसका लाभ बच्चों के खेलने के लिये कम और होटल को ज्यादा मिल रहा है। क्योंकि इसमें प्रवेश के दो रास्ते दे दिये गये है। इसी तरह जो ट्रांसफार्मर बिजली के लिये लगाया है वह वन विभाग की ज़मीन पर बिना एन ओ सी लिये लगा दिया गया है और बिजली बोर्ड इस पर चुप्प बैठा है।

याचिका में कहा गया है कि इतनी सारी अवैधताओं का एक साथ पाया जाना निश्चित रूप से यह संकेत देता है कि यह सब संवद्ध प्रशासन के सहयोग के बिना संभव नही हो सकता। इस याचिका पर उच्च न्यायालय का रूख क्या रहता है इस पर निगाहें लगी हैं।

आउटसोर्स कर्मियों की मांगों को लेकर वामपंथियों का छह को धरना

शिमला/शैल। बस किरायों में बढ़ोतरी के खिलाफ चार अक्तूबर व आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर वामपंथी मजदूर संगठन सीटू 6 अक्तूबर को पूरे प्रदेश में धरने प्रदर्शन करने का एलान किया हैं। सीटू जिला महासचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मियों को नियमित करने के लिए नीति बनाने को लेकर झूठे भरोसे देती रही हैं लेकिन अभी तक कोई नीति नही बनाई हैं।

उन्होंने मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए राज्य सरकार नीति बनाएं व आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स ी तरह के श्रम कानून अमल में लाये जाएं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलें के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। उन्होंने कहा कि अगर आउटसोर्स कर्मचारियों को न्याय न मिला तो आंदोलन तेज होगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा बस किरायों में बेतहाशा वृद्धि के कारण मजदूरों का गुजर बसर करना मुश्किल हो जाएगा। प्रदेश में मजदूरों को महंगाई भत्ता नही मिलता और उनके वेतन को महंगाई सूचकांक के साथ नही जोड़ा गया है। मजदूरों को केवल 6750 रुपए वेतन दिया जा रहा है। बस किरायों में 25 प्रतिशत वृद्धि व न्यूनतम किराया को दोगुना करने से मजदूरों पर विपरीत असर पड़ेगा। इसलिए सीटू जिला कमेटी ने निर्णय लिया है कि 4 अक्तूबर को सीटू द्वारा बस किराया वृद्धि के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।

उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर मजदूर विरोधी होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकारें चन्द पूंजीपतियों के लिए कार्य कर रही हैं व श्रम कानून में परिवर्तन कर व कई कानूनों को खत्म कर तथा मजदूर विरोधी नीतियां लागू करके मजदूरों पर हमले कर रही हैं। इस बावत सीटू की जिला इकाई ने यहां चितकारा पार्क में बैठक की और आगामी रणनीति बनाई।